[2019] 7 एस. सी. आर 976

राम पार्थम मित्तल और ओआरएस।

वी.

होटल क्वीन रोड पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस।

(2017 की सिविल अपील संख्या 3934)

10 मई, 2019

[अरुण मिश्रा और इंदिरा बनर्जी, जे. जे.]

कंपनी अधिनियम, 1956-एस. 286 , 300 और 108 & ss. 19 (2) , 85 , 87 (2) (ख), 169 (4), 397 और 398 भारत सरकार ने नीति अपनाई।

विभिन्न होटलों के मालिक भारतीय पर्यटन विकास निगम (आई. टी. डी. सी.) में अपने शेयरों के विनिवेश के लिए आई. डी. 1 पर निर्णय

संपत्तियाँ; उनमें से एक इंद्रप्रस्थ होटल है-विलयन की व्यवस्था की एक अनुमोदित योजना के संदर्भ में उक्त होटल को प्रतिवादी संख्या 1-एच. क्यू. आर. एल. को स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसे विनिवेश को सक्षम बनाने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में बनाया गया था। भारत सरकार ने एच. क्यू. आर. एल. में शेयरों की बिक्री के लिए बोलियां आमंत्रित कीं-अपीलकर्ता संख्या 3-मोरल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड सफल बोलीदाता थी-अपीलकर्ता संख्या 1-'आर. पी. एम.', उनकी पत्नी-अपीलकर्ता संख्या। 2 जिनका नैतिकता में नियंत्रण हित था, और प्रतिवादी संख्या 3-'ए. एम.', अपीलकर्ता संख्या 1 के छोटे भाई को एच. क्यू. आर. एल. का नियमित निदेशक नियुक्त किया गया-एच. ओ. आर. एल. ने प्रतिवादी संख्या 2-हिलक्रेस्ट-एच. क्यू. आर. एल. को भुनाने योग्य वरीयता शेयर जारी करने की मंजूरी दी, जिन्होंने सी. एस. होने के नाते दीवानी मुकदमा दायर किया।

(ओ. एस.) उच्च न्यायालय के समक्ष 2005 का 992 अन्य बातों के साथ-साथ हिलक्रेस्ट के खिलाफ प्रस्तावित प्रस्तावों के साथ आगे बढ़ने के लिए निषेधाज्ञा की मांग करता है।

ई. ओ. जी. एम.-तीन संकल्प। 27.7.04 , 7.1.05 और 10.5.05 ने कंपनी लॉ बोर्ड (सी. एल. बी.) यू/एस. एस. के समक्ष 'आर. पी. एम.', उनकी पत्नी और 'ए. एम.' द्वारा चुनौती दिए गए नैतिक पक्ष के पक्ष में शेयरों का आवंटन/हस्तांतरण पारित किया। 397 , 398 आर. पी. एम. समूह द्वारा एच. क्यू. आर. एल. के उत्पीड़न और कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर कि 'ए. एम.' को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, जो उस समय एक निदेशक याचिका थी जिसे खारिज कर दिया गया था-हिलक्रेस्ट ने उच्च न्यायालय में यह घोषणा करने के लिए मुकदमा दायर किया कि प्रस्ताव डी. टी. डी. को देखते हुए एच. क्यू. आर. एल. में उसे मतदान का अधिकार था। 30.09.02- उच्च न्यायालय ने हिलक्रेस्ट के सी. ओ. ए. (एस. बी.) 4/2006 को अनुमति दी और तीन प्रस्तावों द्वारा किए गए आवंटन और हस्तांतरण को इस आधार पर रद्द कर दिया कि हिलक्रेस्ट के पास मतदान का अधिकार था और एस. एस. का उल्लंघन था। 286 , 300 और 108 और सी. एल. बी. के आदेश को दरकिनार कर दिया-उच्च न्यायालय ने भी यू / s.340,

976 राम पार्थम मित्तल और ओआरएस। वी. होटल क्वीन रोड पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस।

आर. पी. एम. के खिलाफ Cr.PC-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः दो दीवानी मुकदमे लंबित हैं।

विचार; एक एच. क्यू. आर. एल. द्वारा दायर ओएस No.992/2005 है; अन्य सूट No.1832/2008 यह घोषणा करने की मांग करता है कि एच. क्यू. आर. एल. 30.9.02 पर पारित प्रस्ताव के आधार पर एक सीमित कंपनी बन गई थी - राम परशोत्तम मित्तल बनाम में निर्णय लिए गए निषेधाज्ञा के मामले में मामला उच्चतम न्यायालय में गया। हिलक्रेस्ट रियल्टी-सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए बिना किसी अर्थ के अंततः प्रथम दृष्टया कहा कि एचक्यूआरएल ने अपनी स्थिति को बदल दिया था और यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया था।

सार्वजनिक कंपनी-यह भी महत्वपूर्ण रूप से देखा गया कि चूंकि इस मुद्दे का फैसला दो लंबित मुकदमों में किया जाना है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के लिए इस प्रश्न पर आगे ध्यान देना उचित नहीं होगा-यह विवादित नहीं है कि यू/के तहत कोई नोटिस नहीं दिया गया है। s.286 'AM' को दिया गया था, निदेशक को जब विवादित प्रस्ताव पारित किए गए थे-विवादित प्रस्ताव

'एएम' के लिए अनुचित हैं-अन्यथा भी नोटिस की अनुपस्थिति है

एस द्वारा अनिवार्य रूप से उसी को अमान्य करने के लिए पर्याप्त है। 286 - निदेशकों के लिए खुद को शेयर आवंटित करना और 'एएम' को बाहर करना अनुचित था और वह भी उन्हें नोटिस जारी किए बिना।

-

एस। 108 एस से स्वतंत्र रूप से काम करता है। 286 या एस। 300 बैठक का अमान्य होना एस के प्रावधानों के तहत निर्भर है। 108 - एस का उल्लंघन हुआ था। 108 - एच. क्यू. आर. एल. ने 10.5.05 पर विधिवत निष्पादित शेयर हस्तांतरण प्रपत्र के साथ शेयर प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया, बोर्ड के प्रस्ताव की तारीख-'आर. पी. एम.' की याचिका में विश्वास नहीं किया गया था कि शेयर प्रमाण पत्र 23.6.03 पर वापस कर दिए गए थे-उच्च न्यायालय ने आदेश दिया

कार्यवाही यू / s.340 Cr.P.C. इसके विपरीत हलफनामा दायर करने के लिए 'आर. पी. एम.' के खिलाफ-मामले के तथ्य और परिस्थितियों में, समग्र परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया गया-हालाँकि, अपीलार्थी नं. 1 , आर. पी. एम. 'मामले के तथ्यों में, अलग रखें।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः 1.1 यह एक आम आधार है कि दो दीवानी मुकदमे हैं

विचाराधीन; एक एच. क्यू. आर. एल. द्वारा हिलक्रेस्ट रियल्टी को ई. ओ. जी. एम. के प्रस्तावित प्रस्तावों के साथ आगे बढ़ने और उसमें मतदान अधिकारों का प्रयोग करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा के लिए दायर ओएस No.992/2005 है; दूसरा मुकदमा No.1832/2008 घोषणा की मांग कर रहा है।

कि एच. क्यू. आर. एल. 30.9.2002 पर पारित प्रस्ताव के आधार पर एक सीमित कंपनी बन गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया

निषेधाज्ञा देने के मामले में न्यायालय जिसमें निर्णय लिया गया था

राम परशोत्तम मित्तल बनाम। हिलक्रेस्ट रियल्टी।

यह पाया गया कि उपरोक्त प्रश्न पर निर्णय मुद्दे के निर्णय पर निर्भर करेगा कि क्या समाधान द्वारा

अवलोकन प्रथम दृष्टया केवल विशेष अनुमति याचिका के निपटारे के लिए सीमित प्रकृति के थे और मुकदमों में अंतिम निर्णय को प्रभावित नहीं करना चाहिए। एच. क्यू. आर. एल. से संबंधित सवाल कि क्या यह एक निजी या सार्वजनिक कंपनी है, मुकदमों में निर्णय के लिए खुली छोड़ दी गई है। [पैरा 62] [998-सी-एच; 999-ए-बी] 1.2 राम पुरुषोत्तम मित्तल में आदेश अंतिम नहीं है और निषेधाज्ञा के मामले में केवल एक प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण है। द.

अंतरिम क्रम में टिप्पणियों को बाध्यकारी के रूप में नहीं लिया जा सकता है

इस मामले को तय करने के उद्देश्य से। [पैरा 65] [999-ई-एफ] 1.3 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 286 निदेशक को नोटिस की आवश्यकता से संबंधित है। यह विवादित नहीं है कि धारा 286 के तहत निदेशक श्री ए. एम. को कोई नोटिस नहीं दिया गया था जब विवादित प्रस्ताव पारित किए गए थे।

सुई में रैम पार्श्वम मित्तल और ओआरएस। वी. होटल क्वीन रोड पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस।

उद्योग, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह देखा गया है कि निदेशक द्वारा पारित प्रस्ताव पूरी तरह से कानूनी हो सकता है और फिर भी दमनकारी हो सकता है और इसके विपरीत एक प्रस्ताव जो कानून का उल्लंघन करता है, कंपनी के शेयरधारकों के हित में हो सकता है। हर अवैधता इसे दमनकारी नहीं बनाएगी। पूर्वाग्रह दिखाना होगा। उत्पीड़न की किसी भी शिकायत पर केवल इस आधार पर विचार नहीं किया जा सकता था कि बोर्ड की बैठक की सूचना संलग्न करने में विफलता अवैध कार्य था। यह दिखाना होगा कि कार्रवाई उस व्यक्ति के लिए अनुचित थी जिसे नोटिस नहीं दिया गया है और शेयरधारकों के रूप में कानूनी और स्वामित्व अधिकारों के प्रयोग में उसके लिए पूर्वाग्रह का कारण बनती है। श्री ए. एम. के लिए विवादित प्रस्ताव मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अनुचित हैं, अन्यथा नोटिस की अनुपस्थिति इसे अमान्य करने के लिए पर्याप्त है।

धारा 286 द्वारा अनिवार्य। [पारस 74-76] [1009-H; 1010-C-F]

1.4 निदेशकों के लिए खुद को शेयर आवंटित करना और तथ्यों में श्री ए. एम. को बाहर करना अनुचित था और

मामले की परिस्थितियाँ और वह भी उसे नोटिस जारी किए बिना। [पैरा 81] [1021-डी]

1.5 कंपनी अधिनियम की धारा 19 (2) में प्रावधान है कि धारा 85 से 89 में कुछ भी निजी कंपनी पर लागू नहीं होगा।

जब तक कि यह किसी सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है और इस प्रश्न का अंत में निर्णय लेना है कि क्या यह लंबित दीवानी मुकदमे में एक निजी या सार्वजनिक सीमित कंपनी है जिसे कहा गया है

कानून के अनुसार निर्णय के लिए एन. सी. एल. टी. को हस्तांतरित। अन्यथा, धारा 87 में यह प्रावधान है कि बैठक के लिए वरीयता शेयरधारकों को भी नोटिस जारी किया जाना चाहिए और उन्हें बैठक में भाग लेने का अधिकार है। यह प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है भले ही लाभांश घोषित नहीं किया गया हो। उस मामले में भी, वरीयता शेयरधारकों को बैठक में मतदान करने का अधिकार होगा। रिलायंस को मांग पर ईओजीएम बुलाने के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 169 (4) के प्रावधानों पर भी रखा गया है। ई. ओ. जी. एम. के संबंध में प्रस्ताव वर्तमान मामले में मुद्दे में नहीं है। इस प्रकार धारा 169 (4) के प्रावधानों और प्रस्तुतियों पर विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। [पारस 83,84] [1028-ए-डी]

1.6 धारा 108 धारा 286 या धारा 300 से स्वतंत्र रूप से संचालित होती है। बैठक का अमान्यकरण इसके तहत निर्भर है धारा 108 के प्रावधान। [2019] 7 एस. सी. आर. की धारा 108 का उल्लंघन किया गया था।

कंपनी अधिनियम। एच. क्यू. आर. एल. ने बोर्ड संकल्प की तारीख 10.5.2005 पर विधिवत निष्पादित शेयर हस्तांतरण प्रपत्र के साथ शेयर प्रमाणपत्र दाखिल नहीं किया। श्री आर. पी. एम. की याचिका है

इस बात पर विश्वास नहीं किया कि शेयर प्रमाणपत्र 23.6.2003 पर वापस कर दिए गए थे। उच्च न्यायालय ने इसके विपरीत हलफनामा दायर करने के लिए श्री आर. पी. एम. के खिलाफ धारा 340 Cr.P.C के तहत कार्यवाही का भी आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने इंडियन ओवरसीज बैंक के संबंधित अधिकारियों के हलफनामे पर भरोसा किया है। उच्च न्यायालय ने पाया है कि शेयर प्रमाण पत्र श्री आर. पी. एम. को वितरित किए गए थे न कि 23.6.2003 पर।

लेकिन 23.6.2005 पर। धारा के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था। मामले के तथ्य और परिस्थितियों में,

समग्र परिदृश्य पर विचार करते हुए, विवादित आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं करने की आवश्यकता है। हालाँकि, मामले के तथ्यों में अपीलार्थी आर. पी. एम. पर मुकदमा चलाने के निर्देश को दरकिनार कर दिया गया है। [पारस 87,89] [1033-एच;

1034 - ए-सी; 1035-ए]

लिमिटेड और ओआरएस। (1981) 3 एससीसी 333: [1981] 3 एससीआर 698; संग्रामसिंह पी. गायकवाड़ और अन्य। वी. शांतादेवी पी. एलआर के माध्यम से गायकवाड़ (मृत)। & ओआरएस। (2005) 11 एस. सी. सी. 314 [2005] 1 एस. सी. आर. 624; मन्नालाल खेतान और अन्य। वी. केदार नाथ खेतान और अन्य। (1977) 2 एससीसी 424: [1977]

2 एस. सी. आर. 190-पर निर्भर।

वी. एस. कृष्णन और अन्य। आदि वी। वेस्टफोर्ट हाई-टेक अस्पताल

लिमिटेड और ओआरएस। (2008) 3 एससीसी 363: [2008] 3 एससीआर 184;

सी. डी. एस. फाइनेंशियल सर्विसेज (मॉरीशस) लिमिटेड बनाम बी. पी. एल.

कम्युनिकेशंस लिमिटेड और अन्य। (2004) 121 कम्प मामला 374; राष्ट्रीय वस्त्र श्रमिक संघ और अन्य। वी. P.R.Ramakrishnan और ओआरएस। (1983) 1 एससीसी 228: [1983] 1 एस. सी. आर. 922; राम परशोतम मित्तल और अन्न। वी. हिलक्रेस्ट रियल्टी एसडीएन। बीएच. डी.। & ओआरएस। (2009) 8 एससीसी 709: [2009] 10 एस. सी. आर. 1121; श्री परमेश्वरी प्रसाद गुप्ता बनाम। द. भारत संघ (1973) 2 एससीसी 543: [1974] 1 एस. सी. आर. 304; डेल एंड कैरिंगटन प्राइवेट। (पी) लिमिटेड और अन्न। वी. पी. के. प्रतापन और अन्य। (2005) 1 एससीसी 212: [2004] 4 पूरक। एस. सी. आर. 334; फायरस्टोन टायर एंड रबर कं. v. सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड और अन्य।

(1971) 41 सह. मामले 377; राम पार्थम मित्तल और ओआरएस। वी. होटल क्वीन रो पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस।

मद्रास ट्यूब कं. लिमिटेड और अन्य। वी. हरि किशन सोमानी और

ओआरएस। (1985) 1 कम्प लॉ जर्नल 195 (मैड)। ; एम. एस

मधुसूदनन बनाम। केरल कौमुदी (पी) लिमिटेड (2004) 9

एससीसी 204: [2003] 2 पूरक। एससीआर 107; Mrs.Bacha एफ।

गुज़दार, बॉम्बे बनाम। आयकर आयुक्त,

बॉम्बे एयर 1955 एससी 74: [1955] एससीआर 876; संघ भारत का वी. एलाइड इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड और ए. एन. आर.

(1970) 3 एससीसी 594: [1971] 2 एस. सी. आर. 661; राष्ट्रीय वस्त्र

श्रमिक संघ और अन्य। वी. पी. आर. रामकृष्ण और अन्य।

(1983) 1 एससीसी 228: [1983] 1 एससीआर 922; एम/एस। कोठारी टेक्सटाइल्स लिमिटेड, मद्रास और अन्य। वी. धन आयुक्त

टैक्स, मद्रास एयर 1963 मैड। 274 ; ट्रोजन इक्विटी लिमिटेड

एलआर के माध्यम से शैलेंद्र (मृत)। & ओआरएस। (2018) 3 एससीसी 412 [2018] 2 एससीआर 1; M.S.D.C. राधा रामानन बनाम

एम. एस. डी. चंद्रशेखर राजा और अन्र। (2008) 6 एससीसी

750 : [2008] 5 एस. सी. आर. 182-संदर्भित।

हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, खंड 6 (तीसरा संस्करण), पृष्ठ

234 - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

(2009) 5 एस. सी. सी. 694

उस पर भरोसा करें

पैरा

41

[1981] 3 एससीआर 698

उस पर भरोसा करें

पैरा

42

[2005] 1 एससीआर 624

उस पर भरोसा करें

पैरा

42

[2008] 3 एससीआर 184

संदर्भित किया गया है

पैरा

42

(2004) 121 कम्प मामले 374 को संदर्भित किया गया

पैरा

45

[1983] 1 एससीआर 922

संदर्भित किया गया है

पैरा

49

[2009] 10 एससीआर 1121

संदर्भित किया गया है

पैरा

51

[1974] 1 एससीआर 304

संदर्भित किया गया है

पैरा

53

[2004] 4 पूरक। एससीआर 334

संदर्भित किया गया है

पैरा

54

[2003] 2 पूरक। एससीआर 107

संदर्भित किया गया है

पैरा

60

[1955] एससीआर 876

पैरा

71

संदर्भित किया गया है

[1971] 2 एससीआर 661

संदर्भित किया गया है

पैरा

73 [2019] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1983] 1 एससीआर 922

पै

रा 82 (बी)

संदर्भित किया गया है

पै

रा 82 (डी)

एयर 1963 मैड। 274

संदर्भित किया गया है

[2018] 2 एससीआर 1

पै

रा 82 (एफ)

संदर्भित किया गया है

[1977] 2 एससीआर 190

उस पर भरोसा करें

पै

रा 86

[2008] 5 एससीआर 182

संदर्भित किया गया है

पै

रा 88

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 3934

2017 से।

उच्च न्यायालय के 31.05.2013 दिनांकित निर्णय और आदेश से

सी. ओ. ए. में नई दिल्ली में दिल्ली का न्यायालय। (एस. बी.) 2006 की सं. 4.

के साथ

2017 की सिविल अपील संख्या 3935।

पिनाकी मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , एस. उदय कुमार सागर, सुश्री बीना

माधवन, सूर्यनारायण सिंह, नीतेश जैन, पीयूष द्विवेदी, सुश्री श्रेयाली कुंवर, सुश्री एलिजाबेथ एंथनी, मैसर्स। वकील एस निट एंड कंपनी, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

राकेश द्विवेदी, श्याम दीवान, जयदीप गुप्ता, विकास सिंह, सीनियर।

अधिवक्ता। , अर्धेंदुमौली कुमार प्रसाद, कुमार मिहिर, जयंत मेहता, सौरभ कालिया, समीर चौधरी, सुश्री दृष्टि हरपलानी, सुश्री अनिंदिता मिश्रा, कुणाल वर्मा, युगांधरा पवार झा, गोपाल झा, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अरुण मिश्रा, जे।

1. अपील दिनांकित 31.5.2013 पारित निर्णय से उत्पन्न होती है।

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा, कंपनी याचिका No.64/2005 में कंपनी विधि बोर्ड द्वारा पारित दिनांक 31.1.2006 के आदेश को दरकिनार करते हुए।

2. पृष्ठभूमि के तथ्यों से संकेत मिलता है कि भारत सरकार ने

भारतीय पर्यटन विकास निगम (संक्षेप में, 'आई. टी. डी. सी.') में अपने शेयरों का विनिवेश करने के लिए आई. डी. 1 पर एक नीतिगत निर्णय, जो विभिन्न होटल संपत्तियों का मालिक है; उनमें से एक इंद्रप्रस्थ होटल है, जिसे पहले होटल अशोक यात्री निवास के रूप में जाना जाता था, (जिसे इसके बाद "होटल" के रूप में संदर्भित किया जाता है)।

3. विलयन व्यवस्था की एक अनुमोदित योजना के संदर्भ में

होटल को प्रतिवादी नंबर 1-होटल क्वीन रोड प्राइवेट को स्थानांतरित कर दिया गया था। लिमिटेड (संक्षेप में, 'एच. क्यू. आर. एल.') जिसे एक विशेष प्रयोजन रैम पार्श्वम मित्तल और ओ. आर. एस. के रूप में बनाया गया था।

वी. होटल क्वीन रोड पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

विनिवेश को सक्षम करने के लिए वाहन। एच. क्यू. आर. एल. की चुकता पूंजी Rs.90 लाख थी जिसमें प्रत्येक Rs.10 के 9 लाख इक्विटी शेयर थे, जिनमें से भारत सरकार के पास 89.97% शेयर थे। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (आई. एच. सी. एल.) के पास 10 प्रतिशत शेयर थे और शेष शेयर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत आई. टी. डी. सी. के होटलों के कर्मचारियों के पास थे। 4. विनिवेश के अपने निर्णय के अनुसार, सरकार ने एचक्यूआरएल में शेयरों की बिक्री के लिए बोलियां आमंत्रित कीं। अपीलार्थी संख्या 3-मोरल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जिसे संक्षेप में इसके बाद 'मोरल' के रूप में संदर्भित किया गया है, एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी को सफल बोलीदाता घोषित किया गया था।

5. 8.10.2002 के एक शेयर खरीद समझौते द्वारा मोरल ने एच. क्यू. आर. एल. में भारत सरकार और आई. एच. सी. एल. के शेयरों का अधिग्रहण किया।

Rs.45 करोड़। इसमें से रु. 33.37 करोड़ रुपये बैंकों से ऋण के माध्यम से प्राप्त किए गए थे। 99.97 % एचक्यूआरएल के शेयर मोरल के पास होने के कारण, एचक्यूआरएल मोरल की सहायक कंपनी बन गई।

6. अपीलार्थी नं. 1, श्री आर. पी. मित्तल, और अपीलार्थी नं. 2, श्रीमती सरला मित्तल, जो नैतिकता में नियंत्रक हित रखती थीं, और प्रतिवादी नं. 3, श्री अशोक मित्तल, अपीलार्थी नं. 1 के छोटे भाई, श्री आर. पी. मित्तल को 8.10.2002 पर एच. क्यू. आर. एल. के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, और बाद में, 28.12.2002 पर आयोजित एच. क्यू. आर. एल. की वार्षिक आम बैठक में नियमित निदेशक नियुक्त किए गए थे। 7. एच. क्यू. आर. एल. ने अपनी अतिरिक्त साधारण आम बैठक (ई. ओ. जी. एम.) में अपनी स्थिति को 'प्राइवेट लिमिटेड' से 'लिमिटेड' कंपनी में बदलने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। उक्त प्रस्ताव को कंपनी पंजीयक द्वारा देर से दाखिल करने के आधार पर खारिज कर दिया गया था और अपीलकर्ताओं के अनुसार, एचक्यूआरएल ने इसे कंपनी पंजीयक के पास फिर से दायर नहीं किया था और न ही दोषों को दूर किया था।

8. 21.12.2002 पर एचक्यूआरएल की एक बोर्ड बैठक आयोजित की गई थी। मोरल ने एच. क्यू. आर. एल. के प्रति इक्विटी शेयर Rs.10 मूल्य के 13 इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण किया। 7 व्यक्तियों को, अर्थात 2 शेयर अपीलार्थी नं. 1, श्री आर. पी. मित्तल को, 3 शेयर

अपीलार्थी नं. 2, श्रीमती सरला मित्तल, प्रत्यर्थी नं. 3, श्री अशोक मित्तल का एक शेयर और अपीलार्थी की 4 बेटियों के 7 शेयर और 2, आर. पी. मित्तल के परिवार के पास इस प्रकार उनके भाई श्री अशोक मित्तल के एक इक्विटी शेयर के मुकाबले 99.97% इक्विटी शेयर थे।

9. आई. डी. 3 पर एच. क्यू. आर. एल. की वार्षिक आम बैठक (ए. जी. एम.) आयोजित की गई जिसमें अधिकृत पूंजी आई. डी. 2 लाख से बढ़ाकर आई. डी. 1 करोड़ कर दी गई। ए. जी. एम. में श्री अशोक मित्तल ने भाग लिया। प्रत्येक Rs.10 के 71 लाख इक्विटी शेयरों और 25 लाख वरीयता [2019] 7 एस. सी. आर. की वृद्धि हुई।

प्रति शेयर Rs.100 के शेयर और कंपनी अधिनियम, 1956 (इसके बाद 'कंपनी अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 81 (1ए) के तहत एक विशेष व्यापार संकल्प संख्या 10 पारित किया गया था। निदेशक मंडल में श्री आर. पी. मित्तल, श्रीमती सरला मित्तल और श्री अशोक मित्तल की नियुक्ति की गई।

मोरल के अधिकांश शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित। श्री आर. पी. मित्तल

और श्रीमती सरला मित्तल को पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। एच. क्यू. आर. एल. के संगठन ज्ञापन में भी संशोधन किया गया। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद IV (4) में यह कहने के लिए संशोधन किया गया था कि वरीयता शेयरों में कोई मतदान अधिकार नहीं होगा।

10. एच. क्यू. आर. एल. के अध्यक्ष श्री आर. पी. मित्तल ने <आई. डी. 1 पर प्रतिवादी संख्या 2-हिलक्रेस्ट रियल्टी एस. डी. एन. बी. एच. डी. मलेशिया को पत्र जारी किया।

(संक्षेप में, 'हिलक्रेस्ट') Rs.30 करोड़ तक प्रत्येक के Rs.100 के 8.5% संचयी भुनाने योग्य वरीयता शेयरों में सदस्यता आमंत्रित करता है। 3.4.2003 पर, होटल को नवीनीकरण और उन्नयन के लिए बंद कर दिया गया था। 30.4.2003 पर, हिलक्रेस्ट ने स्वीकार किया और कंपनी में 23,65,000,8.5% भुनाने योग्य वरीयता शेयरों के आवंटन के लिए अनुरोध करते हुए सदस्यता के लिए आवेदन किया। 5.5.03 पर एच. क्यू. आर. एल. ने हिलक्रेस्ट को 23,65,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जारी करने की मंजूरी दी।

11. वरीयता शेयरों के निर्गम को सुविधाजनक बनाने के लिए, एच. क्यू. आर. एल. ने 5 लाख रुपये की अधिकृत पूंजी में 5 करोड़ रुपये की वृद्धि की।

हिलक्रेस्ट प्रत्यर्थी संख्या 2 को 4,64,290 भुनाने योग्य वरीयता शेयर जारी करना। अगस्त-सितंबर, 2003 में या उसके आसपास, होटल के पुनर्विकास के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक से Rs.40 करोड़ का सावधि ऋण जुटाया गया था। अपीलार्थियों के अनुसार ऋण श्री आर. पी. मित्तल, श्रीमती सरला मित्तल और श्री अशोक मित्तल की संयुक्त व्यक्तिगत गारंटी, नैतिक की कॉर्पोरेट गारंटी और श्री आर. पी. मित्तल और श्रीमती सरला मित्तल की व्यक्तिगत संपत्तियों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित किया गया था। 12. 27.7.2004 पर, एच. क्यू. आर. एल. ने अधिनियम की धारा 81 (1ए) के तहत पारित प्रस्ताव दिनांक 28.12.2002 के अनुपालन में, इक्विटी का% 99.97 रखने वाले एकल शेयरधारक मोरल के बराबर 23.90 लाख इक्विटी शेयर जारी किए। अधिनियम की धारा 81 (1ए) के तहत पारित प्रस्ताव के अनुपालन में 7.1.2005 एचक्यूआरएल ने मोरल को 41.51 लाख इक्विटी शेयर, श्री आर. पी. मित्तल को 1 लाख 10 हजार इक्विटी शेयर और श्रीमती सरला मित्तल को 4.5 लाख इक्विटी शेयर जारी किए।

13. 14.1.2005 पर एक अतिरिक्त साधारण आम बैठक (EOGM) आयोजित की गई थी जिसमें एक शेयरधारक का संकल्प अपनाया गया था जिसे एच. क्यू. आर. एल. ने अपनी अधिकृत पूंजी को मौजूदा Rs.38 करोड़ आर. ए. एम. पर्शोटम मित्तल और ओ. आर. एस. से बढ़ा दिया।

वी. होटल क्वीन रोड पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

प्रत्येक Rs.10 के 2 लाख इक्विटी शेयरों की वृद्धि के साथ, Rs.40 करोड़ तक। 10.5.2005 पर एच. क्यू. आर. एल. ने प्रतिवादी नंबर 4 पॉन्डी मेटल्स एंड रोलिंग मिल्स प्राइवेट को 10 लाख इक्विटी शेयर आवंटित किए। लिमिटेड, जिसे इसके बाद संक्षेप में पॉन्डी मेटल्स के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसके अलावा, एच. क्यू. आर. एल. ने मोरल द्वारा श्री आर. पी. मित्तल के पक्ष में 32,88,181 इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण पंजीकृत किया। 14. 26.5.2005 पर, M/s। अशोक मित्तल एंड कंपनी ने मोरल को रुपये 4,91,58,762/- के पुनर्भुगतान के लिए एक नोटिस जारी किया, जिसमें ब्याज के साथ दावा किया गया कि यह 2000 से पहले के वर्षों के लिए शेयर व्यापार के लिए चालू खाते से 2000 से देय था। यह अपीलार्थियों का मामला है कि श्री अशोक मित्तल ने, भारत की राजधानी के केंद्र में स्थित होने के कारण, होटल के विकास की उज्ज्वल संभावनाओं को महसूस करने पर, आर. पी. मित्तल समूह के साथ बेईमानी की और प्राथमिकता के साथ साजिश रची।

एचक्यूआरएल के प्रबंधन को नियंत्रित करने के लिए शेयरधारक हिलक्रेस्ट, यह आरोप लगाया जाता है

अपीलार्थियों द्वारा कि कंपनी अधिनियम के प्रावधानों और कंपनी के लेखों और आदान-प्रदान किए गए पत्राचार में निर्धारित वरीयता शेयरों के निर्गम की शर्तों का उल्लंघन करते हुए, श्री अशोक मित्तल ने

हिलक्रेस्ट अधिनियम की धारा 169 (4) के तहत ई. ओ. जी. एम. के लिए एच. क्यू. आर. एल. के विधिवत निर्वाचित बोर्ड को हटाने और कंपनी अधिनियम की धारा 87 (2) (बी) के तहत प्रदान किए गए भुनाने योग्य वरीयता शेयरों पर लाभांश का भुगतान न करने के आधार पर उनके नामित व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए नोटिस जारी करेगा। कंपनी अधिनियम की धारा 87 नीचे दी गई है:

" धारा 87-मतदान का अधिकार

(1) धारा 89 और उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए धारा 92:

(क) शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के प्रत्येक सदस्य और उसमें कोई इक्विटी शेयर पूंजी रखने वाले सदस्य को ऐसी पूंजी के संबंध में कंपनी के समक्ष रखे गए प्रत्येक प्रस्ताव पर मतदान करने का अधिकार होगा; और

(ख) चुनाव में उसका मतदान का अधिकार कंपनी की चुकता इक्विटी पूंजी में उसके हिस्से के अनुपात में होगा।

(2)

(क) उपरोक्त विषय के अधीन रहते हुए और इस उप-धारा के खंड (ख) में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, शेयरों द्वारा सीमित और उसमें कोई वरीयता शेयर पूंजी रखने वाली कंपनी के प्रत्येक सदस्य को, ऐसी पूंजी के संबंध में, केवल उन प्रस्तावों पर मतदान करने का अधिकार होगा जो कंपनी के समक्ष रखे गए हैं जो सीधे उसके वरीयता शेयरों से जुड़े अधिकारों को प्रभावित करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक्सप्लेनेशन। : कंपनी को बंद करने के लिए कोई संकल्प या

आर अपनी शेयर पूंजी का पुनर्भुगतान या कमी को वरीयता शेयरों से जुड़े अधिकारों को प्रभावित करने के लिए सही माना जाएगा।

इस खंड का अर्थ।

(ख) उपरोक्त विषय के अधीन, कंपनी लिमिटेड का प्रत्येक सदस्य

ऐसी पूँजी के संबंध में, कंपनी के समक्ष किसी भी बैठक में रखे गए प्रत्येक प्रस्ताव पर मतदान करने का हकदार होगा, यदि ऐसी पूँजी या ऐसे लाभांश के किसी भाग पर देय लाभांश अवैतनिक रह गए:

(i) संचयी वरीयता शेयरों के मामले में, दो साल से कम की कुल अवधि के संबंध में

बैठक शुरू होने की तारीख; और

((ii) गैर-संचयी वरीयता शेयरों के मामले में, या तो समाप्त होने वाली दो वर्ष से कम की अवधि के संबंध में।

बैठक शुरू होने से तुरंत पहले के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ समाप्त होने वाले छह वर्षों में शामिल तीन वर्षों से कम की कुल अवधि के संबंध में

ऊपर कहा गया है।

स्पष्टीकरण। : इस खंड के प्रयोजनों के लिए, लाभांश को किसी भी अवधि के संबंध में वरीयता शेयरों पर देय माना जाएगा, चाहे कंपनी द्वारा लाभांश घोषित किया गया हो।

ऐसी अवधि के लिए ऐसे शेयरों पर या नहीं,

(क) ऐसी अवधि के लिए ऐसे लाभांश के भुगतान के लिए विनिर्दिष्ट अंतिम दिन, उस संबंध में कंपनी द्वारा निष्पादित वस्तुओं या अन्य लिखत में; या (ख) यदि कोई दिन इस प्रकार निर्दिष्ट नहीं है, तो उस दिन को तुरंत

इस अवधि के बाद। (ग) जहां किसी वरीयता शेयर के धारक को इस उप-धारा के प्रावधानों के अनुसार किसी भी प्रस्ताव पर मतदान करने का अधिकार है, वहां ऐसे शेयर के धारक के रूप में मतदान पर उसका मतदान अधिकार, धारा 89 और धारा 92 की उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उसी अनुपात में होगा जो वरीयता शेयर के संबंध में चुकाई गई पूंजी कंपनी की कुल चुकता इक्विटी पूंजी के बराबर है। राम पार्थम मित्तल और ओआरएस।

वी. होटल क्वीन रोड पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

नं. 6 श्री एन. पी. गुप्ता और प्रत्यर्थी नं. 5 श्री सुमन जैन को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। 8.7.2005 हिलक्रेस्ट पर नोटिस जारी किया गया कंपनी अधिनियम की धारा 169 (6) के तहत 4.8.2005 पर ई. ओ. जी. एम. के लिए कॉल करना।

16. एचक्यूआरएल ने घोषणा, रद्द करने और अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 2005 का सीएस (ओएस) 992 होने का दीवानी मुकदमा दायर किया। कंपनी अधिनियम की धारा 169 के तहत मांग के खिलाफ।

17. 4.8.2005 हिलक्रेस्ट ई. ओ. जी. एम. बुलाने के लिए आगे बढ़ा और अन्य बातों के साथ-साथ श्री आर. पी. मित्तल और श्रीमती सरला मित्तल को हटाने का प्रस्ताव पारित किया।

एच. क्यू. आर. एल. बोर्ड से। 12 अगस्त, 2005 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2005 के सी. एस. (ओ. एस.) No.992 के कथित मुकदमे में आई. ए. 5505 नामक एक अंतर्वर्ती आवेदन में एक आदेश पारित किया, जिसमें हिलक्रेस्ट को 12.8.2005 पर आयोजित ई. ओ. जी. एम. में पारित प्रस्ताव को प्रभावी बनाने से रोका गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हिलक्रेस्ट को ईओजीएम में पारित प्रस्ताव को प्रभावी बनाने से रोक दिया।

दिल्ली में और कंपनी अधिनियम की धारा 397 और 398 के तहत आरोप लगाया गया आर. पी. मित्तल समूह द्वारा एच. क्यू. आर. एल. का उत्पीड़न और कुप्रबंधन। बोर्ड की बैठकों में शेयरों के आवंटन/हस्तांतरण के संबंध में पारित प्रस्ताव को भी इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि

अशोक मित्तल को नोटिस जारी किया गया था, जो उस समय निदेशक थे।

सितंबर, 2005 में अधिनियम की धाराओं 397/398 के तहत, 27.7.2004,7.1.2005 और 10.5.2005 पर प्रभावित शेयरों के आवंटन/हस्तांतरण को चुनौती देते हुए (i) श्री R.P.Mittal और श्रीमती सरला मित्तल द्वारा एचक्यूआरएल के वित्तीय कुप्रबंधन; (ii) इस समझ पर संचयी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर (सी. आर. पी. एस.) में निवेश किया गया कि एचक्यूआरएल मोरल की सहायक कंपनी बनी रहेगी और एचक्यूआरएल की स्थिति में दो साल के लिए कोई लाभांश का भुगतान करने में विफल रहने पर हिलक्रेस्ट इसके हकदार होंगे

सभी प्रस्तावों में अपने मतदान अधिकारों का प्रयोग करना; (iii) 27.7.2004,7.1.2005 और 10.5.2005 पर किए गए आवंटन की अवैधता। श्री अशोक मित्तल, जो एच. क्यू. आर. एल. के निदेशक थे, को कंपनी अधिनियम की धारा 286 के तहत नोटिस के अभाव में; (iv) शेष निदेशकों द्वारा आवंटन [2019] 7 एस. सी. आर. का उल्लंघन करते हुए अपने स्पष्ट हित का खुलासा किए बिना किया गया था।

कंपनी अधिनियम की धारा 300 का; (v) एच. क्यू. आर. एल. के इक्विटी शेयरों के किसी भी मूल्यांकन के बिना किया जा रहा आवंटन; (vi) कोई पैसा नहीं शेयरों के हस्तांतरण के लिए भुगतान किया गया और (vii) हस्तांतरण की संभावना ऐसी स्थिति पैदा करती है जहां एचक्यूआरएल अब मोरल की सहायक नहीं रहेगी और इस प्रकार हिलक्रेस्ट को अधिनियम की धारा 87 (2) (बी) के तहत किसी भी मतदान के अधिकार से वंचित कर देगा।

20. अपीलार्थियों द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि हिलक्रेस्ट और श्री अशोक मित्तल द्वारा विभिन्न बाधाओं के बावजूद विभिन्न पक्षों को नोटिस भेजकर

सरकारी विभागों ने उन्हें लाइसेंस नहीं देने के लिए कहा, श्री आर. पी. मित्तल के एकमात्र प्रयासों से होटल चालू हो गया था और सभी आवश्यक लाइसेंस दिए गए थे।

21. 31.1.2006 पर, सी. पी. No.64/2005 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि यह हिलक्रेस्ट और श्री अशोक की दुर्भावनापूर्ण याचिका थी।

मित्तल कंपनी को संभालेंगे। 2006 में कंपनी लॉ बोर्ड द्वारा पारित 31.1.2006 दिनांकित आदेश के खिलाफ तीन क्रॉस अपील दायर की गई थीं।

22. अगस्त, 2006 में हिलक्रेस्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय में सीएस (ओएस) No.1832/2008 के रूप में एक मुकदमा दायर किया, जिसमें कहा गया कि हिलक्रेस्ट के पास मतदान का अधिकार था।

एच. क्यू. आर. एल. ने 30 सितंबर, 2002 को एच. क्यू. आर. एल. द्वारा पारित प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए एच. क्यू. आर. एल. को एक निजी कंपनी से बदल दिया था।

शेयरों द्वारा सीमित एक सार्वजनिक कंपनी को शेयरों द्वारा सीमित। हिलक्रेस्ट ने आई. ए. No.12164/2008 के रूप में एक आवेदन दायर किया जिसमें कहा गया था कि सी. एस. (ओ. एस.) संख्या <आई. डी. 2. ने तर्क दिया कि एच. क्यू. आर. एल. ने धोखाधड़ी से 12 अगस्त, 2005 को निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त किया था और इस तथ्य को छिपाया था कि उसने 2002 में एक सार्वजनिक कंपनी का दर्जा प्राप्त कर लिया था। हिलक्रेस्ट ने 12 अगस्त के अंतरिम आदेश को खाली करने के लिए सी. एस. No.992/2005 होने के मुकदमे में एक आवेदन भी किया, जिसमें हिलक्रेस्ट को 4 अगस्त, 2005 को एच. क्यू. आर. एल. की बैठक में पारित प्रस्ताव को प्रभावी बनाने से रोक दिया गया था।

24. 1 अक्टूबर, 2008 को या उसके आसपास, हिलक्रेस्ट ने सी. एस. में आई. ए. No.12164/2008 के रूप में एक आवेदन दायर किया। (ओएस) No.1832/2008 अन्य बातों के साथ प्रार्थना करते हुए कि हिलक्रेस्ट को असाधारण जनरल में भाग लेने की अनुमति दी जाए एच. क्यू. आर. एल. की बैठक 16 अक्टूबर, 2008 को आयोजित की जाएगी और इसके अलावा राज्य के मामलों की देखरेख के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति के लिए प्रार्थना की जाएगी।

कंपनी।

राम पार्थम मित्तल और ओआरएस। वी. होटल क्वीन रोड पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

24 अक्टूबर, 2008 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने सी. एस. में आई. ए. No.12164/2008 में पारित किया। (ओएस) डिवीजन बेंच के समक्ष 2008 का 1832। 27. अपीलकर्ताओं का कहना है कि 21 अक्टूबर, 2008 को या उसके आसपास श्री आर. पी. मित्तल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक आवेदन दायर किया था।

जिसके बाद कंपनी पंजीयक को दिनांक 21 अक्टूबर को पत्र द्वारा, 2008 अपीलार्थी को सूचित किया गया कि एच. क्यू. आर. एल. की स्थिति को उक्त पत्र में निर्दिष्ट तकनीकी कारणों से शेयरों द्वारा सीमित निजी कंपनी से शेयरों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी में नहीं बदला गया है।

28. 24 अक्टूबर, 2008 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 5 अक्टूबर, 2008 को सी. एस. में आई. ए. No.12164/2008 में पारित अंतरिम आदेश। (ओएस) 2008 की संख्या 1832 को निरपेक्ष बना दिया गया था।

29. 14 जनवरी, 2009 को दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने एक सामान्य आदेश द्वारा एफएओ (ओएस) No.282/2005, एफएओ (ओएस) का निपटारा किया।

426 2008 और 2008 के 440 ने एचक्यूआरएल की बैठकों में हिलक्रेस्ट के मतदान करने के अधिकार को बरकरार रखा। सवाल यह है कि क्या एचक्यूआरएल निजी था

पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयरों द्वारा सीमित कंपनी को मुकदमे में निर्णय के लिए खुला छोड़ दिया गया था। 14 जनवरी, 2009 को हिलक्रेस्ट ने अशोक मित्तल के माध्यम से आर. पी. मित्तल समूह से एच. क्यू. आर. एल. का प्रबंधन संभाला।

30. अपीलार्थी Nos.1 और 2 ने इस न्यायालय में 2009 के अनुच्छेद 136 के तहत एसएलपी (सी) No.1069 होने के नाते एक विशेष अनुमति याचिका दायर की।

संविधान। 20 जुलाई, 2009 के एक फैसले और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने हिलक्रेस्ट के मतदान के अधिकार को इस आधार पर बरकरार रखा कि एचक्यूआरएल प्रथम दृष्टया एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी थी। 31. 30 जुलाई, 2009 को हिलक्रेस्ट और अशोक मित्तल ने एच. क्यू. आर. एल. के मौजूदा शेयरधारकों को धारा 81 (21) के तहत नोटिस भेजा।

कंपनी अधिनियम आगे इक्विटी शेयर आवंटित करने के लिए।

32. 14 अगस्त, 2009 को अपीलकर्ताओं ने सी. एस. में आई. ए. No.9920/2009 के रूप में एक अंतरिम आवेदन दायर किया। (ओएस) 2008 का 1832 निषेधाज्ञा की मांग करता है

हिलक्रेस्ट और श्री अशोक मित्तल के खिलाफ अधिकारों के मुद्दे पर आगे बढ़ने से।

19] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

33. 18 अगस्त, 2009 के एक फैसले और आदेश द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने सही मुद्दे में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और

सी. एस. में आवेदन No.9920/2009। (ओएस) 1832/2009 को खारिज कर दिया गया था।

34. 20 अगस्त, 2009 को अपीलार्थी ने ऊपर निर्दिष्ट 18 अगस्त, 2009 के आदेश के खिलाफ अपील की। डिवीजन बेंच ने हालांकि अधिकारों के मुद्दे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन केवल एचक्यूआरएल और अशोक मित्तल को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

35. 31.5.2013 पर, उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश द्वारा हिलक्रेस्ट के CoA (SB) 4/2006 को अनुमति दी और आवंटन और हस्तांतरण को रद्द कर दिया।

27.7.2004,7.1.2005 और 10.5.2005 पर इस आधार पर बनाया गया कि हिलक्रेस्ट को मतदान का अधिकार था और कंपनी अधिनियम की धारा 286,300 और 108 का उल्लंघन किया गया था।

36. एच. क्यू. आर. एल. ने तर्क दिया है कि अपीलकर्ताओं का यह दावा कि उन्होंने होटल के अधिग्रहण के समय एच. क्यू. आर. एल. को वित्त पोषित किया था, गलत है। रु. 33.25 करोड़ रुपये का ऋण बैंक ऋण के माध्यम से प्राप्त किया गया था। 5. 5

श्री अशोक मित्तल ने एक करोड़ रुपये का ऋण दिया था। श्री आर. पी. मित्तल ने 6.23 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान किया था। जब होटल खरीदा गया था तो इसके व्यापक नवीनीकरण की आवश्यकता थी और इस प्रकार आगे के धन की आवश्यकता थी। हिलक्रेस्ट ने रु। श्री अशोक मित्तल, श्री आर. पी. मित्तल और श्रीमती सरला मित्तल की व्यक्तिगत गारंटी पर आई. ओ. बी. से बैंक ऋण। एच. क्यू. आर. एल. ने दावा किया है कि श्री अशोक मित्तल की कुल संपत्ति दूसरों की तुलना में बहुत अधिक थी।

37. एचक्यूआरएल ने आगे तर्क दिया है कि प्रबंधन बदल गया है

दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 15.1.2009 पर आर. पी. मित्तल समूह से हाथ। एच. क्यू. आर. एल. का प्रबंधन छोड़ने से पहले, श्री आर. पी. मित्तल और श्रीमती सरला मित्तल ने अपने सहयोगियों की मदद से एच. क्यू. आर. एल. के लेखा पुस्तकों और वैधानिक अभिलेखों को हटा दिया और हटा दिया। इसके बाद, श्री आर. पी. मित्तल से संबंधित कई तीसरे पक्षों ने एच. क्यू. आर. एल. को धन उधार देने का दावा करना शुरू कर दिया। इनमें से अधिकांश मांगें श्री आर. पी. मित्तल के साथ 'मौखिक समझौतों' पर आधारित थीं। जब नए प्रबंधन ने एचक्यूआरएल का कार्यभार संभाला, तो एचक्यूआरएल की वित्तीय स्थिति कमजोर थी, केवल रु। एच. क्यू. आर. एल. के बैंक खाते में 2.82 लाख रुपये; सरकारी बकाया, कर और कर्मचारियों के वेतन सहित तत्काल देनदारियां 62,563 थीं; एच. क्यू. आर. एल. ने बैंक को ब्याज के भुगतान पर लगभग 446 करोड़ रुपये की कुल बैंक देनदारी के साथ चूक की थी; और ब्याज और मूलधन के पुनर्भुगतान में चूक के कारण इसका खाता गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एन. पी. ए.) बनने के कगार पर था और यह पहले से ही बैंक के साथ मुकदमेबाजी में था।

राम पार्थम मित्तल और ओआरएस। वी. होटल क्वीन रोड पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

38. इन परिस्थितियों में, श्री अशोक मित्तल द्वारा धन लाया गया था। श्री अशोक मित्तल द्वारा ऋण के रूप में 5 करोड़ रुपये की राशि लाई गई थी।

इससे पहले 31.3.2009; रु। श्री अशोक मित्तल द्वारा आईडी2 से पहले 4.5 करोड़ रुपये और राइट्स इश्यू के माध्यम से आईडी1 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया। उन अपीलार्थियों को प्रस्ताव दिया गया था जिन्होंने अधिकार मुद्दे की सदस्यता लेने से इनकार कर दिया था लेकिन कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। 2009 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अधिकारों के मुद्दे पर निषेधाज्ञा देने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया था।

39. उत्तरदाताओं के अनुसार, उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि पूरा वित्त पोषण या तो निवेश के आधार पर था हिलक्रेस्ट या श्री अशोक मित्तल की साख योग्यता या उनके द्वारा किए गए निवेश के आधार पर। आर. पी. मित्तल समूह का तर्क है कि वे

परियोजना को वित्त पोषित करना गलत है। वे यह नहीं दिखा पाए हैं कि कंपनी में इस तरह का धन कैसे लाया गया है। कहा कि समूह के पास न तो था एच. क्यू. आर. एल. का होटल खरीदने के लिए न तो धन और न ही ऋण योग्यता।

40. अपीलार्थियों की ओर से वरिष्ठ वकील श्री पिनाकी मिश्रा ने आग्रह किया कि श्री अशोक मित्तल का दावा है कि उनके पास था रु. का वित्तपोषण किया। 5. 5 करोड़ रुपये में से मोरल को। एच. क्यू. आर. एल. के अधिग्रहण के लिए 12.03 करोड़ गलत और बाद में सोचा गया था। इस अदालत को गुमराह करने के लिए उन्होंने गलत बयान दिया था। श्री अशोक मित्तल का यह दावा भी गलत था कि मोरल को Rs.33 करोड़ का ऋण केवल उनकी व्यक्तिगत गारंटी पर था। श्री अशोक मित्तल और हिलक्रेस्ट की कार्रवाई एचक्यूआरएल के हितों के लिए हानिकारक थी।

41. श्री मिश्रा ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने अंतरिम निषेधाज्ञा मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा करने में गलती की है जो अंततः पक्षों के अधिकारों का फैसला नहीं करते हैं। मुकदमा अभी भी लंबित है। उन्होंने आग्रह किया कि यह इस न्यायालय द्वारा असम राज्य बनाम में अच्छी तरह से तय किया गया है। बराक उपात्यक डी. यू.

कर्मचारी संस्था (2009) 5 एस. सी. सी. 694 ने कहा कि कोई भी अंतरिम आदेश जो अंततः और निर्णायक रूप से किसी मुद्दे का निर्णय नहीं करता है, एक मिसाल नहीं हो सकता है।

42. यह आग्रह किया गया कि अपीलकर्ताओं या आर. पी. मित्तल द्वारा एच. क्यू. आर. एल. के मामलों में कोई वित्तीय कुप्रबंधन नहीं किया गया था।

समूह। उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय पारित करते समय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 10 एफ के तहत कंपनी न्यायालय के रूप में नहीं बल्कि दीवानी न्यायालय के रूप में कार्य किया है। यह परीक्षण कि कोई कार्रवाई दमनकारी है या नहीं, इस बात पर आधारित नहीं है कि क्या यह कानूनी रूप से अनुज्ञेय है या नहीं, क्योंकि कानूनी रूप से अनुज्ञेय होने पर भी, यदि कार्रवाई अन्यथा ईमानदारी, अच्छे आचरण के खिलाफ है या बोझिल, कठोर या गलत है या दुर्भावनापूर्ण या संपार्श्विक उद्देश्य के लिए है, तो यह धारा

397 के तहत उत्पीड़न के बराबर होगा। रिलायंस को नीडल इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड और अन्य पर भी रखा गया है। वी. नीडल इंडस्ट्रीज [2019] 7 एस. सी. आर.

नेवे (इंडिया) होल्डिंग लिमिटेड और अन्य। (1981) 3 एस. सी. सी. 333; संग्रामसिंह पी. गायकवाड़ और अन्य। वी. एल. आर. के माध्यम से शांतादेवी पी. गायकवाड़ (मृत)।

& ओआरएस। (2005) 11 एससीसी 314; और वी. एस. कृष्णन और अन्य। आदि वी। वेस्टफोर्ट हाई-टेक हॉस्पिटल लिमिटेड और अन्य। (2008) 3 एससीसी 363।

43. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मिश्रा ने आगे आग्रह किया कि नहीं

केवल स्थानांतरण को दर्ज करता है। श्री अशोक मित्तल और हिलक्रेस्ट की ओर से यह तर्क भी सही नहीं था कि आवंटन कम मूल्य पर किया गया था। मोरल से श्री आर. पी. मित्तल को 10.5.2005 पर शेयरों का हस्तांतरण दो अलग-अलग कानूनी संस्थाओं अर्थात् मोरल और श्री आर. पी. मित्तल के बीच था, जिसके तहत एच. क्यू. आर. एल. के पास केवल हस्तांतरण दर्ज करने का अधिकार था। एच. क्यू. आर. एल. कोई आपत्ति नहीं उठा सकता था और हिलक्रेस्ट के पास इसे चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं होगा। हिलक्रेस्ट का एकमात्र मुद्दा यह है कि जब यह संसद के समक्ष रखे गए प्रत्येक प्रस्ताव पर मतदान करने का हकदार था। कंपनी अधिनियम की धारा 87 (2) (बी) के संदर्भ में कंपनी। यह प्रस्तुत किया गया था कि हिलक्रेस्ट को किया गया पहला आवंटन 5.5.2003 पर था, इसलिए हिलक्रेस्ट की प्रस्तुतियों के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 87 (2) (बी) के संदर्भ में दो साल की अवधि 5.5.2005 पर समाप्त हो गई और हिलक्रेस्ट के अनुसार, यदि लाभांश का भुगतान 2 साल के लिए नहीं किया गया था, चाहे लाभ हो या न हो, हिलक्रेस्ट को 10.5.2005 के प्रस्ताव पर मतदान करने का अधिकार था, जिससे हस्तांतरण कानून का सही प्रस्ताव नहीं है। कंपनी अधिनियम की धारा 205 में प्रावधान है कि किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया जाएगा, सिवाय उस वर्ष के लिए कंपनी के लाभों में से जो मूल्यह्रास के प्रावधान के बाद आया हो।

उप-धारा के प्रावधानों के अनुसार। 44. यह आग्रह किया गया कि किसी कंपनी में शेयरधारकों की स्थिति भागीदारों के समान हो। साझेदारी केवल एक है

साझेदारी के व्यवसाय को चलाने के लिए व्यक्तियों का संगठन और कानूनी रूप से फर्म का नाम भागीदारों का वर्णन करने का एक समग्र तरीका है।

हालाँकि, ऐसा किसी ऐसी कंपनी का मामला नहीं है जो शेयरधारकों से अलग एक अलग न्यायिक इकाई के रूप में खड़ी हो।

45. अपीलार्थी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि हिलक्रेस्ट पर कंपनी अधिनियम की धारा 87 (2) (बी) के तहत मतदान का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि कोई लाभ और कोई लाभांश देय नहीं था।

तदनुसार, कोई RAM PARSHOTAM MITTAL & ORS नहीं। वी. होटल क्लीन रोड पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

यह कहा जा सकता है कि संकल्प दिनांक 10.5.2005 द्वारा शेयरों के अंतर-हस्तांतरण के कारण हिलक्रेस्ट पर उत्पीड़न हुआ था। इसके अलावा, हिलक्रेस्ट को कंपनी अधिनियम की धारा 169 (4) के तहत ईओजीएम की मांग करने का कोई अधिकार नहीं था। इस प्रकार, ई. ओ. जी. एम. नहीं बुलाने की कार्रवाई उत्पीड़न के बराबर नहीं है। हिलक्रेस्ट का तर्क है कि वरीयता शेयरधारकों के पास था

लिमिटेड और ओआरएस। (2004) 121 कम्पैक्ट केस 374, कि फेमा के विशेष कानूनों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक की विशेष अनुमति कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों पर प्रबल होगी। यदि उच्च न्यायालय का सादृश्य विवादित है आदेश लागू किया जाता है तो एचक्यूआरएल की पिछली सभी बैठकों को धारा 286 और 300 के उल्लंघन के रूप में अमान्य घोषित किया जाना चाहिए।

46. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मिश्रा ने यह भी आग्रह किया कि धारा 108 के तहत प्रावधान के बारे में उच्च न्यायालय का निष्कर्ष

कंपनी अधिनियम, 1956 और उसके बाद श्री आर. पी. मित्तल के खिलाफ धारा 340 Cr.P.C के तहत कार्यवाही शुरू करना भी गलत था, क्योंकि

उच्च न्यायालय ने स्वयं अभिलिखित किया था कि श्री आर. पी. मित्तल को प्रमाण पत्र कब जारी किए गए थे, इसका पता लगाने के लिए बैंक के पास कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। 2009 में राइट्स इश्यू अवैध था और केवल श्री अशोक मित्तल को बहुमत देने के लिए लाया गया था, भले ही यह मुद्दा इन कार्यवाही का हिस्सा नहीं था।

47. उपरोक्त प्रस्तुतियों के मद्देनजर, अपीलकर्ताओं ने प्रार्थना की

48. एच. क्यू. आर. एल. के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जयदीप गुप्ता ने प्रस्तुत किया कि कंपनी का हित इसमें सर्वोच्च होना चाहिए। कंपनी अधिनियम की धारा 397 के तहत एक याचिका में राहत देते समय न्यायालय का ध्यान।

19] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

49. यह तर्क दिया गया कि यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि कंपनी केवल शेयरधारकों के हित का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, बल्कि यह बहुत व्यापक है।

संस्थाओं का समूह जिसमें कर्मचारी, ऋणदाता और आम जनता शामिल होगी। रिलायंस को राष्ट्रीय कपड़ा श्रमिक संघ और अन्य में भी रखा गया था। वी. P.R.Ramakrishnan और ओआरएस। (1983) 1 एससीसी 228।

50. श्री गुप्ता ने आगे कहा कि एचक्यूआरएल नई दिल्ली में एक प्रमुख होटल चलाता है। यह वांछनीय है कि होटल के व्यवसाय का हित

प्रबंधन में वास्तविक परिवर्तन, इसलिए, 15.1.2009 पर या उसके आसपास हुआ। श्री अशोक मित्तल द्वारा प्रबंधन के अधिग्रहण के बाद और निवेश किया गया। इसमें से उन्होंने 49.50 करोड़ रुपये कमाए। श्री अशोक मित्तल ने बैंक बकाया और अन्य ऋणदाताओं को भुगतान करने के लिए सीधे 9.50 करोड़ रुपये का निवेश किया था। इसके अलावा, 30.7.2009 पर या उसके आसपास एक अधिकार मुद्दे के माध्यम से एक और Rs.40 करोड़ रुपये जुटाए गए थे। आर. पी. मित्तल समूह को कंपनी में हिस्सेदारी के अनुपात में शेयरों की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने कोई भी हिस्सेदारी लेने या कंपनी में कोई निवेश करने से इनकार कर दिया। इसलिए, पूरी राशि श्री अशोक मित्तल द्वारा लाई गई थी। अब तक श्री अशोक मित्तल के पास एच. क्यू. आर. एल. के 92 प्रतिशत इक्विटी शेयर हैं जबकि मोरल और श्री आर. पी. मित्तल के पास एच. क्यू. आर. एल. के लगभग 8 प्रतिशत शेयर हैं। दोनों पक्षों के बीच मुख्य विवाद (i) 2005 में आर. पी. मित्तल समूह और मोरल को शेयरों के आवंटन और हस्तांतरण से संबंधित हैं। (ii) राम पार्थम मित्तल और ओ. आर. एस. द्वारा प्रबंधन का अधिग्रहण।

वी. होटल क्वीन रोड पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

2009 में अशोक मित्तल और हिलक्रेस्ट और (iii) राइट्स इश्यू जो जुलाई, 2009 को या उसके आसपास हुआ था। उपरोक्त (ii) के संदर्भ में, यह कहा गया था कि एक अंतरिम व्यवस्था है जो दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी है और जिसकी पुष्टि इस न्यायालय तक एक निर्णय द्वारा की गई है और राम परशोतम मित्तल और अन्न में दिनांकित 20.7.2009 आदेश। वी. हिलक्रेस्ट रियल्टी एसडीएन। बीएच. डी.। & ओआरएस। (2009) 8 एससीसी 709। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि उक्त अंतरिम व्यवस्था में इस समय बदलाव या संशोधन नहीं किया जा सकता है।

स्टेज।

52. श्री गुप्ता ने आगे तर्क दिया कि वर्तमान कार्यवाही में एकमात्र सवाल आवंटन और हस्तांतरण की वैधता है जो 2004 और 2005 में कंपनी द्वारा श्री आर. पी. मित्तल, उनकी पत्नी श्रीमती सरला मित्तल और मोरल के पक्ष में किया गया था। ये लेन-देन दिनांकित 27.7.2004,7.1.2005 और 10.5.2005 के तीन संकल्पों में निहित हैं।

53. श्री अशोक मित्तल की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त लेनदेन जो श्री मित्तल की बैठकों में किए गए थे।

निदेशक मंडल, जिसके लिए उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था, हालांकि वे उस समय एच. क्यू. आर. एल. के निदेशक थे, अवैध, अमान्य और दमनकारी हैं। श्री परमेश्वरी प्रसाद गुप्ता बनाम। भारत संघ (1973) 2 एस. सी. सी. 543, इस न्यायालय ने कंपनी अधिनियम की धारा 286 को अनिवार्य ठहराया और ऐसी बैठक में पारित प्रस्ताव को अमान्य करने के लिए इसका उल्लंघन किया गया है।

54. उन्होंने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त बैठकों में प्रस्ताव पारित किए गए

ये कंपनी अधिनियम की धारा 300 का भी उल्लंघन करते हैं क्योंकि इन सभी में दो निदेशकों श्री आर. पी. मित्तल और श्रीमती सरला मित्तल के पक्ष में व्यवस्थाओं और अनुबंधों पर चर्चा की गई है और उक्त दो व्यक्तियों द्वारा स्वयं मतदान किया गया है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि निदेशक बोर्ड की बैठक आयोजित करते समय न्यासियों के रूप में कार्य करते हैं और न्यासियों के रूप में वे अपने पक्ष में निर्णयों में भाग नहीं ले सकते हैं। यह न केवल न्यासियों से संबंधित इक्विटी के कानून का एक स्थापित सिद्धांत है, बल्कि कंपनी अधिनियम की धारा 300 द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध है। रिलायंस को डेल एंड कैरिंगटन प्राइवेट लिमिटेड पर रखा गया है। (पी) लिमिटेड और अन्न। वी. पी. के. प्रतापन और अन्य। (2005) 1 एस. सी. सी. 212; फायरस्टोन टायर एंड रबर कं. v. सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड और अन्य। (1971) 41 सह. मामले 377 और मद्रास ट्यूब कं. लिमिटेड और अन्य। वी. हरि किशन सोमानी और अन्य। (1985) 1 कम्प लॉ जर्नल 195 (मैड)।

55. उन्होंने आगे कहा कि मोरल से श्री आर. पी. मित्तल को 10.5.2005 पर शेयर हस्तांतरित करने का निर्णय कंपनी अधिनियम की धारा 108 का उल्लंघन है क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा यह तथ्य पाया गया है कि भौतिक शेयर प्रमाण पत्र [2019] 7 एस. सी. आर. पर मोरल के कब्जे में नहीं था।

प्रासंगिक तिथि। हिलक्रेस्ट और श्री अशोक मित्तल द्वारा दायर धारा 397 के तहत कार्यवाही में, कंपनी लॉ बोर्ड ने पाया कि प्रस्ताव अवैध रूप से पारित किया गया था, लेकिन उसने आवंटन और हस्तांतरण को अस्थिर आधार पर अलग करने से इनकार कर दिया। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि कंपनी अधिनियम की धारा 397 के तहत एक याचिका में यह आम तौर पर वांछनीय है जब तक कि कोई विशेष परिस्थितियां मौजूद न हों, एक आदेश पारित करना जो सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए कंपनी के लिए और अधिकांश के लिए फायदेमंद होगा। उनके सदस्य।

56. अंत में यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय के आदेश को प्रबंधन के संबंध में मौजूदा स्थिति को परेशान किए बिना बरकरार रखा जाए। कंपनी।

57. हिलक्रेस्ट के विद्वान वकील श्री मिहिर कुमार ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं ने सी. ए. नं. नामक दो अपील दायर की हैं। 3934/2017 और सी. ए. No.3935/2017। उत्पन्न होने वाला एकमात्र कानूनी प्रश्न

तात्कालिक मामला यह है कि क्या एच. क्यू. आर. एल. के निदेशक मंडल की 27.7.2004,7.1.2005 और 10.5.2005 पर आयोजित 3 बैठकें वैध और वैध थीं। निम्नलिखित मुद्दे इस प्रश्न के लिए उपयुक्त नहीं थेः

(1) चाहे एचक्यूआरएल पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो या प्राइवेट लिमिटेड

(2) क्या हिलक्रेस्ट, एक वरीयता शेयरधारक के पास कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 87 के संदर्भ में कोई मतदान अधिकार था? 58. विद्वान वकील तर्क देंगे कि कंपनी लॉ बोर्ड के समक्ष उपरोक्त तीन बोर्ड बैठकों को गंभीर रूप से दूषित किया गया था और

इन कारणों से अमान्य है कि वे कंपनी अधिनियम की धारा 286 और 300 का उल्लंघन कर रहे थे जो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। विवादित बैठकों में पारित प्रस्ताव मूल रूप से शेयरों के आवंटन के लिए थे

अपीलकर्ताओं द्वारा स्वयं के लिए और 10.5.2005 पर आयोजित बैठकों में से एक भी मोरल से श्री को शेयरों के कथित हस्तांतरण से संबंधित है।

आर. पी. मित्तल इन बैठकों में हिलक्रेस्ट और श्री अशोक मित्तल पर पूर्वाग्रह और अत्याचार करने के लिए निरंतर कार्य किए गए। अपीलार्थियों का एचक्यूआरएल और हिलक्रेस्ट में सीमित वित्तीय निवेश था और श्री अशोक मित्तल ने एचक्यूआरएल में काफी निवेश किया है। मोरल ने बैंक ऋण एच. क्यू. आर. एल. को हस्तांतरित कर दिया और एच. क्यू. आर. एल. ने उसे चुका दिया।

59. विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि अपीलार्थियों का तर्क है कि उच्च न्यायालय इस आधार पर अपने निष्कर्ष पर पहुंचा था

अंतरिम निषेधाज्ञा देने के मामले में इस न्यायालय का प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण गलत और गलत था। विवादित निर्णय के निष्कर्ष पूरी तरह से तय किए गए कानूनी प्रस्तावों पर आधारित हैं।

यह प्रस्तुत किया गया था कि राम पार्थम मित्तल और ओआरएस। वी. होटल क्वीन रोड पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

फेमा पर अपीलार्थियों की निर्भरता गलत है। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ताओं ने आई. डी. 1 पर कुछ दस्तावेज दाखिल करने की मांग की थी जिन्हें न तो कंपनी लॉ बोर्ड या उच्च न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड में रखा गया था; न तो नीचे की अदालतों के समक्ष अनुरोध किया गया और न ही इस अदालत के समक्ष अनुरोध किया गया। अंत में, यह प्रार्थना की गई कि अपीलों को खारिज कर दिया जाए।

60. श्री अशोक मित्तल के विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि अपीलों का निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा धारा 10 एफ के तहत किया गया था। कंपनी अधिनियम, 1956 और कानून के प्रश्नों तक सीमित। रिलायंस को श्री परमेश्वरी प्रसाद गुप्ता बनाम पर रखा गया था। भारत संघ (ऊपर)। एम. एस. मधुसूदनन बनाम में निर्णय पर। केरल कौमुदी (पी) लिमिटेड (2004) 9 एस. सी. सी. 204, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 286,300 और 108 का उल्लंघन करने के कारण बोर्ड की उपरोक्त 3 बैठकों को दूषित और अमान्य कर दिया गया था। फायरस्टोन टायर एंड रबर कंपनी पर भी मजबूत निर्भरता रखी गई थी। सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड

ओआरएस। (ऊपर)।

61. श्री अशोक मित्तल के विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि उन पर गंभीर रूप से अत्याचार किया गया था क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया था कि उनके पास काफी कुछ था।

एच. क्यू. आर. एल. में ब्याज; अपीलकर्ताओं द्वारा श्री अशोक मित्तल को प्रतिनिधित्व का कोई अवसर प्रदान किए बिना और श्री अशोक मित्तल को प्रस्ताव में भाग लेने का कोई अवसर प्रदान किए बिना खुद को आवंटित शेयरों का आवंटन; कहा कि आवंटन सकल अवमूल्यन पर था और श्री आर. पी. की प्रत्ययी स्थिति का उल्लंघन था। मित्तल और श्रीमती सरला मित्तल एच. क्यू. आर. एल. के निदेशकों के रूप में; 3 बैठकों ने धारा 286 का उल्लंघन किया जिससे वस्तुतः बैठकों को अमान्य कर दिया गया। श्री अशोक मित्तल को किसी भी हद तक शेयरों की पेशकश में भाग लेने का अधिकार था, भले ही उनकी 1 शेयर की मौजूदा इक्विटी हिस्सेदारी कुछ भी हो। और मोरल द्वारा श्री आर. पी. मित्तल को शेयरों का हस्तांतरण ऋण के खिलाफ था। यहां तक कि श्री अशोक मित्तल ने भी मोरल को ऋण दिया था, लेकिन इसके खिलाफ मोरल ने कोई शेयर हस्तांतरित नहीं किया। धारा 81 (1 ए) पर अपीलार्थियों की निर्भरता अपरिवर्तित है। यह भी तर्क दिया गया कि श्री अशोक मित्तल के पास केवल एक हिस्सा होने का अपीलार्थियों का तर्क स्पष्ट रूप से गलत है। कंपनी लॉ बोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि श्री अशोक मित्तल की काफी रुचि थी और उन्होंने एच. क्यू. आर. एल. में निवेश किया था, इसलिए उन्हें भी शेयर आवंटित किए जाने चाहिए (साथ ही मोरल द्वारा हस्तांतरित किए जाने चाहिए)। हिलक्रेस्ट के Rs.28,29,29,000/- के निवेश के मुकाबले, अपीलकर्ताओं ने HQRL की शेयर पूंजी में केवल Rs.90 लाख का निवेश किया था। उक्त 3 बैठकों का हिलक्रेस्ट की हिस्सेदारी पर सीधा असर पड़ा। नैतिक और एच. क्यू. आर. एल. के बीच मूल-सहायक संबंध सार्वजनिक [2019] 7 एस. सी. आर. के रूप में एच. क्यू. आर. एल. की स्थिति से स्वतंत्र था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शेयरों द्वारा सीमित कंपनी और शेयरधारकों के संकल्प दिनांक 30.9.2002 के परिणामस्वरूप। अपीलकर्ताओं ने न केवल श्री अशोक मित्तल के अधिकारों को बल्कि हिलक्रेस्ट के मतदान अधिकारों को भी अस्वीकार करने की मांग की। कि अपीलार्थियों का एचक्यूआरएल में सीमित वित्तीय निवेश था। वास्तव में, मोरल द्वारा एच. क्यू. आर. एल. में अपने स्वयं के कोष से कोई महत्वपूर्ण निवेश नहीं किया गया था; जबकि हिलक्रेस्ट और श्री अशोक मित्तल ने एच. क्यू. आर. एल. में काफी निवेश किया था। कि फेमा पर अपीलार्थियों की निर्भरता गलत है। 62. उपरोक्त तीन विवादित प्रस्तावों की वैधता के मुद्दे पर विस्तार करने से पहले, यह एक सामान्य आधार है और पक्षों की ओर से पेश विद्वान वकील ने कहा कि दो दीवानी मुकदमे लंबित हैं

विचार; एक एच. क्यू. आर. एल. द्वारा हिलक्रेस्ट रियल्टी को ई. ओ. जी. एम. के प्रस्तावित प्रस्तावों के साथ आगे बढ़ने और उसमें मतदान के अधिकारों का प्रयोग करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा के लिए दायर ओएस No.992/2005 है; दूसरा मुकदमा No.1832/2008 यह घोषणा करने की मांग करता है कि एच. क्यू. आर. एल. 30.9.2002 पर पारित प्रस्ताव के आधार पर एक सीमित कंपनी बन गई थी। बात यह है

राम परशोत्तम मित्तल बनाम में निर्णय लिए गए निषेधाज्ञा के अनुदान के मामले में इस न्यायालय की यात्रा की। हिलक्रेस्ट रियल्टी (ऊपर)। प्रतिद्वंद्वी

इस न्यायालय के समक्ष विवाद उठाए गए थे कि क्या एच. क्यू. आर. एल. एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इस न्यायालय ने कहा है कि उपरोक्त प्रश्न पर निर्णय इस पर निर्भर करेगा -

इस मुद्दे का निर्णय कि क्या 30.9.2002 पर अपनाए गए प्रस्ताव द्वारा, एचक्यूआरएल ने अपना निजी चरित्र खो दिया था और इसे एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में बदल दिया गया था। जबकि दोनों मुकदमों में मुद्दे समान हैं, इस न्यायालय ने यह पाया गया कि 12.8.2005 का अंतरिम आदेश भौतिक तथ्यों के दमन द्वारा प्राप्त किया गया था और उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दर्ज किया गया प्रथम दृष्टया निष्कर्ष यह था कि 30.9.2002 पर अपनाए गए प्रस्ताव द्वारा, एचक्यूआरएल ने अपने निजी चरित्र को छोड़ दिया था और इसे एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित कर दिया था। इस अदालत ने इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए बिना किसी अर्थ के अंत में प्रथम दृष्टया कहा कि एक आवेदन पहले दायर किया गया था

प्रपत्र 23 में पंजीयक दिनांकित 30.9.2002 के संकल्प के साथ प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि एच. क्यू. आर. एल. ने अपनी स्थिति को बदल दिया था और एक सार्वजनिक कंपनी बन गई थी। इस न्यायालय द्वारा आगे यह भी कहा गया कि चूंकि सदस्यों की संख्या 50 से अधिक हो गई थी क्योंकि कहा जाता था कि 30.9.2002 पर 134 व्यक्तियों को शेयर आवंटित किए गए थे, इसलिए प्रथम दृष्टया एचक्यूआरएल ने अपना निजी चरित्र खो दिया। हालाँकि, इस न्यायालय ने यह भी महत्वपूर्ण रूप से कहा कि चूंकि इस मुद्दे का निर्णय दो लंबित मुकदमों में किया जाना है, इसलिए इस न्यायालय के लिए इस प्रश्न पर आगे ध्यान देना उचित नहीं होगा। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 87 (2) (बी) के स्पष्टीकरण पर विचार करने से हिलक्रेस्ट को एक संचयी वरीयता शेयरधारक के रूप में प्रत्येक प्रस्ताव पर मतदान करने का अधिकार मिलता है।

1 पर्शोटम मित्तल और ओआरएस। वी. होटल क्वीन रोड पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि टिप्पणियां प्रथम दृष्टया थीं

केवल विशेष अनुमति याचिका के निपटारे के लिए सीमित और मुकदमों में अंतिम निर्णय के लिए धाराप्रवाह होना चाहिए। एच. क्यू. आर. एल. से संबंधित प्रश्न कि यह एक निजी या सार्वजनिक कंपनी है, निर्णय के लिए खुला छोड़ दिया गया है।ई सूट। राम परशोतम मित्तल और अन्र में यह न्यायालय। वी. हिलक्रेस्ट ए) ने निम्नलिखित टिप्पणियां की हैंः

" 66. जैसा कि दोनों मुकदमों में दलीलों से स्पष्ट होगा, दोनों मुकदमों में मांगी गई राहत प्रश्न पर निर्भर है। इस बारे में कि क्या 30 सितंबर, 2002 को अपनाए गए प्रस्तावों द्वारा, होटल क्वीन रोड ने अपना निजी चरित्र खो दिया था और

एक सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित। जबकि दोनों मुकदमों में मुद्दे समान हैं, उसमें पारित अंतरिम आदेश विरोधाभासी क्षेत्रों में काम करते हैं।

अंतिम परिणाम जिसके द्वारा खंड पीठ ने 2005 के वाद संख्या 992 में पारित 12 अगस्त, 2005 के अंतरिम आदेश को दरकिनार कर दिया था। हमारे विचार में, विद्वत एकल न्यायाधीश के इस विचार का समर्थन करने के अलावा कि 12 अगस्त, 2005 का अंतरिम आदेश, अपीलों पर निर्णय लेने के लिए, भौतिक तथ्यों को दबा कर प्राप्त किया गया था, खंड पीठ को प्रथम दृष्टया निष्कर्ष पर पहुंचना था 30 तारीख को स्वीकार किए गए संकल्पों के आधार पर या नहीं

सितंबर, 2002 में, होटल क्वीन रोड ने अपने निजी चरित्र को छोड़ दिया था और इसे एक सार्वजनिक कंपनी में बदल दिया गया था।

कंपनी पंजीयक द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिनके पास, किसी भी स्थिति में, उस संबंध में कोई निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं था। 72. यह तथ्य कि प्रपत्र 23 को 30 सितंबर, 2002 के प्रस्तावों के साथ दाखिल किया गया था, इस तथ्य के साथ कि प्रास्पेक्टस के बदले में एक विवरण, जिसे एक निजी कंपनी द्वारा दायर करने की आवश्यकता होती है जब वह खुद को एक सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित करती है, होटल क्वीन रोड की ओर से दायर किया गया था, इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त है -

प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालना कि होटल क्वीन रोड में [2019] 7 एस. सी. आर. थे।

अभिलेखों में आवश्यक परिवर्तन नहीं किए गए थे कम्पनीसभक पंजीयक।

74. धारा 3 (1) (iii) में "निजी कंपनी" की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए, जैसे ही इसके सदस्यों की संख्या 50 से अधिक हो जाती है,

एक निजी कंपनी के रूप में अपना चरित्र खो देता है। चूंकि तत्काल मामले में कहा गया था कि 30 सितंबर, 2002 को 134 व्यक्तियों को शेयर आवंटित किए गए थे, जिस तारीख को होटल क्वीन रोड प्राइवेट द्वारा प्रस्ताव पारित किए गए थे। लिमिटेड, कंपनी ने अपना निजी चरित्र खो दिया जिसके संबंध में बाद के प्रस्तावों को पारित करने की आवश्यकता थी

शेयर पूँजी में परिवर्तन।

77. जिस क्षण कंपनी द्वारा प्रस्ताव पारित किए गए थे

30 सितंबर, 2002 में कंपनी अधिनियम के प्रावधान लागू हो गए और कानून के संचालन से, होटल क्वीन रोड

साथ ही एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं रह गई और अधिनियम में निर्धारित शर्तों के तहत हिलक्रेस्ट रियल्टी ने उक्त अधिनियम की धारा 87 (2) (बी) और धारा 44 के संचालन द्वारा कंपनी की बैठकों में मतदान के अधिकार हासिल कर लिए। वरीयता शेयरधारक के मतदान अधिकार प्राप्त करने के अधिकार का भी स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया है और

30 सितंबर, 2002, ऊपर निर्दिष्ट दोनों मुकदमों में निर्णय के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस न्यायालय के लिए इस प्रश्न पर आगे विचार करना उचित नहीं होगा। 79. हालाँकि, इन विशेष अनुमति याचिकाओं के निपटारे के उद्देश्य से, हमारा प्रथम दृष्टया यह विचार है कि

30 सितंबर, 2002 के प्रस्तावों के अनुसार, होटल क्वीन रोड एक सार्वजनिक कंपनी बन गई थी, जिससे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 87 (2) (बी) के प्रावधानों को हटा दिया गया था। एक स्वाभाविक परिणाम यह है कि यदि जहां तक हिलक्रेस्ट का संबंध है, दो वर्ष की अवधि के लिए लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया गया था, तो धारा 87 (2) (बी) का स्पष्टीकरण लागू होगा, जिससे हिलक्रेस्ट रियल्टी को एक संचयी वरीयता शेयरधारक के रूप में, कंपनी के समक्ष रखे गए प्रत्येक प्रस्ताव पर, किसी भी बैठक में, उपरोक्त अधिनियम की धारा 87 (2) (बी) के खंड (i) को ध्यान में रखते हुए मतदान करने का अधिकार मिलेगा।

राम पार्थम मित्तल और ओआरएस। वी. होटल क्वीन रोड पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

80. उपरोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, होटल क्वीन रोड और हिलक्रेस्ट रियल्टी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज करते हुए, हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस निर्णय में की गई टिप्पणियां केवल विशेष अनुमति याचिकाओं के निपटारे के लिए प्रथम दृष्टया प्रकृति की हैं और मुकदमों में अंतिम निर्णय को प्रभावित नहीं करना चाहिए, जहां होटल क्वीन रोड की स्थिति से संबंधित प्रश्न को निर्णय के लिए खुला छोड़ दिया गया है। हालाँकि, हम निचली अदालत के रूप में काम करने वाले उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वे मुकदमों का जल्द से जल्द निपटारा करें ताकि होटल क्वीन का प्रबंधन और कार्य हो सकें।

सड़क को अनिश्चितता की स्थिति में नहीं छोड़ा गया है।

63. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा संयुक्त रूप से यह अनुरोध किया गया था कि उक्त दो दीवानी मुकदमों में शामिल मुद्दों पर विस्तार करने और इस मामले में निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे लंबित दीवानी मुकदमों के परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

64. इस न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में स्वयं कहा है कि वह केवल अंतरिम निषेधाज्ञा मामले और इसमें दर्ज निष्कर्षों पर निर्णय ले रहा था।

आदेश प्रथम दृष्टया दीवानी मुकदमे के निर्णय के समय बाध्यकारी नहीं था और यह तय किया जाना था कि क्या एचक्यूआरएल ने अपना निजी अधिकार खो दिया है।

चरित्र और दिनांकित 30.9.2002 संकल्प के आधार पर एक सार्वजनिक सीमित कंपनी बन गई है।

65. इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, राम पुरुषोत्तम मित्तल (उपरोक्त) में आदेश अंतिम नहीं है और केवल प्रथम दृष्टया है। निषेधाज्ञा के मामले में दृष्टिकोण। हम अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील के प्रस्तुत करने में बल पाते हैं कि अंतरिम आदेश में टिप्पणियों को निर्णय लेने के उद्देश्य के लिए भी बाध्यकारी नहीं माना जा सकता है।

यह मामला जैसा कि असम राज्य बनाम में आयोजित किया गया है। बराक उपात्यक डी. यू. कर्मचारी संस्था (2009) 5 एस. सी. सी. 694:

" 21. एक उदाहरण एक न्यायिक निर्णय है जिसमें एक सिद्धांत होता है, जो एक आधिकारिक तत्व बनाता है जिसे अनुपात निर्णय के रूप में जाना जाता है। अ. अंतरिम आदेश जो अंततः और निर्णायक रूप से किसी मुद्दे का निर्णय नहीं करता है, एक मिसाल नहीं हो सकता है। प्रथम दृष्टया निष्कर्षों वाले ऐसे गैर-अंतिम अंतरिम आदेश के समर्थन में सौंपे गए कोई भी कारण हैं -

केवल अस्थायी। इस तरह के प्रथम दृष्टया निष्कर्षों के आधार पर जारी किए गए कोई भी अंतरिम निर्देश मामले का अंतिम निर्णय होने तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए अस्थायी व्यवस्था हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मामला न तो निष्फल हो जाए और न ही उचित रूप से पूरा हो।

अंतिम सुनवाई। "[2019] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

66. कंपनी लॉ बोर्ड के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने पाया है कि कंपनी अधिनियम की धारा 286 के तहत नोटिस के प्रावधान का पालन नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा है कि इच्छुक निदेशकों ने बैठक में भाग लिया है। श्री आर. पी. मित्तल और श्रीमती सरला मित्तल एक प्रत्ययी क्षमता में थे और वे उस निर्णय में भाग नहीं ले सकते थे जिसमें शेयरों को उनके अपने समूह/कंपनी को हस्तांतरित किया गया था। भले ही एचक्यूआरएल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, लेकिन अधिनियम की धारा 300 के प्रावधानों का अनुपालन अनिवार्य था। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि इसका अवमूल्यन किया गया था

एचक्यूआरएल शेयर करता है। 10.5.2005 पर हुई बैठक में मोरल के बराबर शेयरों का आवंटन और उसी तारीख को मोरल के शेयरों को श्री आर. पी. मित्तल @Rs.20 प्रति शेयर हस्तांतरित किया गया। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने राय दी है कि मामले के समग्र तथ्यात्मक मैट्रिक्स में ये कार्य इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त थे कि धारा 397 के तहत आधार बनाया गया था।

67. उच्च न्यायालय ने यह भी पाया है कि एच. क्यू. आर. एल. के पास मोरल से श्री आर. पी. मित्तल को शेयर हस्तांतरित करने का निर्णय 10.5.2005 पर आयोजित बोर्ड की बैठक में विधिवत निष्पादित शेयर हस्तांतरण प्रपत्रों के साथ शेयर प्रमाणपत्र नहीं थे। उपरोक्त कारण से भी 1956 के अधिनियम की धारा 108 में निहित प्रावधानों के उल्लंघन के लिए निर्णय को अमान्य माना गया है। न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 340 के तहत स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही दर्ज की है। श्री आर. पी. मित्तल के खिलाफ पी. सी. न्यायालय ने दिनांकित 27.7.2004,7.1.2005 और 10.5.2005 के विवादित प्रस्तावों को अमान्य कर दिया है और कंपनी विधि बोर्ड के निर्णय को दरकिनार कर दिया गया है।

68. दमन के बारे में निवेदन पर आते हुए कि क्या अधिनियम अपीलार्थी की ओर से धारा 397 के दायरे में दमनकारी था या नहीं, यह प्रस्तुत किया गया कि श्री अशोक मित्तल ने रु। 5. 5 रुपये में से मोरल को करोड़। 12.03 करोड़ एच. क्यू. आर. एल. के अधिग्रहण के लिए, जैसा कि दावा किया गया है। उनका दावा है कि रुपये का ऋण। 13 उनकी व्यक्तिगत गारंटी के आधार पर प्राप्त किए गए करोड़ गलत थे। यह भी आग्रह किया गया था कि नहीं

अपीलार्थियों द्वारा वित्तीय कुप्रबंधन। यह परीक्षण कि क्या कार्रवाई दमनकारी थी या नहीं, इस बात पर आधारित है कि क्या यह कानूनी रूप से अनुमत है या नहीं। रिलायंस को नीडल इंडस्ट्रीज (ऊपर) पर रखा गया है जिसमें इस न्यायालय ने टिप्पणी की हैः

" 49. कभी-कभी यह सवाल उठता है कि क्या कानून का उल्लंघन करने वाली कार्रवाई अपने आप में दमनकारी है। यह कहा जाता है, जैसा कि हम में से एक, भगवती, जे. ने सेठ मोहनलाल गणपतराम बनाम में गुजरात उच्च न्यायालय के एक फैसले में किया था। सयाजी जुबली कॉटन एंड जूट 1 पर्शोटम मित्तल एंड ओआरएस।

वी. होटल क्वीन रोड पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

मिल्स कं. लिमिटेड [1964] 34 कंपनी मामले 777 में कहा गया है कि "निदेशकों द्वारा पारित एक प्रस्ताव पूरी तरह से कानूनी और फिर भी दमनकारी हो सकता है, और इसके विपरीत एक प्रस्ताव जो कानून का उल्लंघन है।

यह शेयरधारकों और कंपनी के हित में हो सकता है। इस प्रश्न पर, लॉर्ड प्रेसिडेंट कूपर ने एल्डर बनाम में अवलोकन किया। बुजुर्ग [1952] एस. सी. 49:

निर्णय उस आचरण को इंगित करते हैं जो तकनीकी रूप से वैध है।

और फिर भी सही ऐसा हो सकता है कि

'न्यायसंगत और न्यायसंगत' अधिकारिता का अनुप्रयोग, और इसके विपरीत, अवैधता और अधिनियम के उल्लंघन से जुड़ा वह आचरण समाप्त करने के उपाय की गारंटी देने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है, विशेष रूप से जहां वैकल्पिक उपचार उपलब्ध हैं। जहाँ इस प्रकार के मामलों में 'न्यायसंगत और न्यायसंगत' अधिकारिता लागू की गई है, वहाँ परिस्थितियाँ, मेरे विचार में, हमेशा ऐसी रही हैं जो इस निष्कर्ष की गारंटी देती हैं कि कम से कम, शक्तियों का अनुचित दुरुपयोग और विश्वास में कमी आई है।

एक अल्पसंख्यक की ओर से केवल आक्रोश से अलग

घरेलू नीति के किसी मुद्दे पर बहिष्कृत होने पर।

न तो न्यायमूर्ति भगवती का निर्णय और न ही एल्डर (उपरोक्त) में टिप्पणियाँ इस बात का निर्माण करने में सक्षम हैं कि प्रत्येक अवैधता अपने आप में दमनकारी है या किसी कार्य की अवैधता उसकी दमनकारीता को सहन नहीं करती है। इन एल्डर में एक शिकायत की गई थी कि एल्डर को बोर्ड की बैठक का नोटिस नहीं मिला था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि यह नहीं दिखाया गया था कि इससे कोई पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ था या कि एल्डर उपस्थित होते तो शेयर खरीद सकते थे, इसलिए उत्पीड़न की किसी भी शिकायत पर केवल इस आधार पर विचार नहीं किया जा सकता था कि बोर्ड की बैठक की सूचना देने में विफलता एक अवैध कार्य था। वास्तविक स्थिति यह है कि एक पृथक कार्य, जो कानून के विपरीत है, आवश्यक रूप से और अपने आप में इस निष्कर्ष का समर्थन नहीं कर सकता है कि कानून का उल्लंघन दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया था या इस तरह का उल्लंघन बोझिल, कठोर और गलत था। लेकिन एक दूसरे का अनुसरण करने वाले अवैध कार्यों की एक श्रृंखला, संदर्भ में, उचित रूप से इस निष्कर्ष पर ले जा सकती है कि वे उसी लेनदेन का एक हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य कारण बनना या करना है

उन व्यक्तियों का उत्पीड़न जिनके खिलाफ उन कार्यों को निर्देशित किया जाता है। यह

उपयोगी रूप से एक परिचित अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में चित्रित किया जा सकता है जिसमें एक वादी एक न्यायाधीश [2019] 7 एस. सी. आर. से अपने मामले को स्थानांतरित करने के लिए कहता है।

किसी और के लिए। एक न्यायाधीश द्वारा पारित एक अलग आदेश जो कानून के विपरीत है, आम तौर पर इस निष्कर्ष का समर्थन नहीं करेगा कि वह पक्षपाती है; लेकिन एक पक्ष के पूर्वाग्रह के लिए गलत या अवैध आदेशों की एक श्रृंखला को आम तौर पर एक उचित निर्णय के निष्कर्ष का समर्थन करने के रूप में स्वीकार किया जाता है।

आशंका कि न्यायाधीश पक्षपाती है और आदेशों की शिकायत करने वाले पक्ष को उसके हाथों न्याय नहीं मिलेगा।

52. इन विभिन्न निर्णयों से यह स्पष्ट है कि धारा 397 के सही निर्माण पर, अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में एक निदेशक का मूर्खतापूर्ण, अक्षम या लापरवाहीपूर्ण आचरण उस धारा के तहत राहत के दावे को जन्म नहीं दे सकता है। उत्पीड़न की शिकायत करने वाले व्यक्ति को यह दिखाना चाहिए कि उसे विवश किया गया है ऐसे आचरण के अधीन होना जिसमें ईमानदारी का अभाव हो, ऐसा आचरण जो उसके लिए अनुचित हो और जो शेयरधारक के रूप में उसके कानूनी और स्वामित्व अधिकारों के प्रयोग में उसके लिए पूर्वाग्रह का कारण बने। यह उल्लेख किया जा सकता है कि कंपनी कानून सुधार पर जेनकिंस समिति ने

अंग्रेजी अधिनियम की धारा 210 में 'दमन' शब्द को 'अनुचित रूप से पूर्वाग्रहपूर्ण' शब्दों से प्रतिस्थापित करने का सुझाव दिया ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि यह दिखाना आवश्यक नहीं है कि जिस कार्य की शिकायत की गई है वह अवैध है या यह कानूनी अधिकारों का आक्रमण है (गोवर्स कंपनी लॉ, चौथा संस्करण देखें। , पृष्ठ 668)। लेकिन उस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया और अंग्रेजी कानून बना हुआ है। जैसा कि मेयर में और रे एच. आर. हार्मर लिमिटेड में, [1959] डब्ल्यू. एल. आर. 62 जैसा कि रे जर्मीन सेंट तुर्की बाथ (ऊपर) में संशोधित किया गया था। हमने भारत में उस संशोधन को नहीं अपनाया है।

111. चाहे कोई इस मामले को नानालाल ज़वेर (ए. आई. आर. 1950 एस. सी. 172) में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से देखे या हावर्ड स्मिथ (1974 ए. सी. 821,831) में प्रिवी काउंसिल द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से देखे, परीक्षण समान है, अर्थात्, क्या शेयरों का निर्गम केवल या केवल लोगों के लाभ के लिए है। निदेशक। यदि शेयर कंपनी के व्यापक हित में जारी किए जाते हैं, तो शेयर जारी करने के निर्णय को रद्द नहीं किया जा सकता है।

इस आधार पर कि इससे संयोग से निदेशकों को शेयरधारकों के रूप में उनकी क्षमता में लाभ हुआ है। इसलिए, हमें श्री सीरवई के इस तर्क को अस्वीकार करना चाहिए कि तत्काल मामले में निदेशक मंडल ने दुर्व्यवहार किया

राइट्स शेयर्स के मुद्दे पर निर्णय लेने में इसकी प्रत्ययी शक्ति।

(जोर दिया गया)।

1 पर्शोटम मित्तल और ओआरएस। वी. होटल क्वीन रोड पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

69. रिलायंस को भी इस अदालत के एक फैसले पर रखा गया है

रामसिंह (उपर्युक्त) जिसमें इस न्यायालय ने टिप्पणी की हैः

" 196. न्यायालय ने धारा 397 और 398 के तहत एक आवेदन में

पक्षकारसभक व्यवहार पर सेहो ध्यान देल जा सकैत अछि। यह बताते हुए कि

धारा 459 में निहित पूर्वाग्रह और अन्याय का सिद्धांत अंग्रेजी कंपनी अधिनियम, न्यायालय ने अस्तित्व पर जोर दिया

अल्पसंख्यकों के प्रति पूर्वाग्रह जो अनुचित है और केवल प्रति पूर्वाग्रह नहीं है

से।

197. न्यायालय राहत देने से भी इनकार कर सकता है जहां याचिकाकर्ता

अदालत में साफ हाथों के साथ नहीं आता है जिससे एक यह निष्कर्ष निकालना कि उसे दिया गया नुकसान अनुचित नहीं था और

कि दी गई राहत को सीमित किया जाना चाहिए। (लंदन स्कूल देखें।

इलेक्ट्रॉनिक्स के, री [1986] सीएच। 211) .

198. इसके अलावा, जब याचिकाकर्ताओं ने सहमति दी है और

यहाँ तक कि कंपनी को इस तरह से चलाने से भी लाभ हुआ जो

आम तौर पर उनके हितों के लिए अनुचित रूप से प्रतिकूल माना जाता है या हो सकता है कि उन्होंने अपनी वैधता का पीछा करने में कोई रुचि नहीं दिखाई हो।

कंपनी में शामिल होने में रुचि। (आर. ए. नोबल एंड संस देखें (क्लोदिंग) लिमिटेड, री [1983] बी. सी. एल. सी. 273) "।

(जोर दिया गया)।

70. रिलायंस को वी. एस. कृष्णन (ऊपर) पर भी रखा गया है।

इस न्यायालय ने टिप्पणी की हैः

" 14. कई निर्णयों में, इस न्यायालय ने विस्तार से विचार किया

धारा 397 और 398 का दायरा। निम्नलिखित निर्णय हो सकते हैं - उपयोगी रूप से संदर्भित किया जाएः

(क) नीडल इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड और अन्य। वी. सुई

इंडस्ट्रीज नेवे (इंडिया) होल्डिंग लिमिटेड और अन्य। [1981] 3 एससीसी 333 .

(ख) एम. एस. मधुसूदनन और अन्र। वी. केरल कौमुदी (पी) लिमिटेड (2004) 9 एससीसी 204।

(ग) डेल एंड कैरिंगटन इन्वेस्टमेंट (पी) लिमिटेड v. पी. के प्रतापन (2005) 1 एस. सी. सी. 212।

(घ) संग्रामसिंह पी. गायकवाड़ बनाम। शांतादेवी पी. गायकवाड़ 2005 (11) एस. सी. सी. 314 [2019] 7 एस. सी. आर.

(ई) कमल कुमार दत्ता बनाम। रूबी जनरल हॉस्पिटल लिमिटेड

2006 (7) एससीसी 613। उपरोक्त निर्णयों से यह स्पष्ट है कि उत्पीड़न किया जाएगाः

(क) जहाँ आचरण कठोर, बोझिल और गलत हो।

(ख) जहां आचरण दुर्भावनापूर्ण है और संपार्श्विक उद्देश्य के लिए है

जहाँ यद्यपि अंतिम उद्देश्य कंपनी के हित में हो सकता है, तत्काल उद्देश्य के परिणामस्वरूप कुछ शेयरधारकों को दूसरों की तुलना में लाभ होगा।

(ग) कार्रवाई ईमानदारी और अच्छे आचरण के खिलाफ है।

(घ) शिकायत किया गया दमनकारी कार्य कानून के तहत पूरी तरह से अनुज्ञेय हो सकता है, लेकिन अभी भी दमनकारी हो सकता है और इसलिए, यह परीक्षण कि क्या कोई कार्रवाई दमनकारी है या नहीं, इस बात पर आधारित नहीं है कि क्या यह कानूनी रूप से अनुज्ञेय है या नहीं क्योंकि कानूनी रूप से अनुमेय होने पर भी, यदि कार्रवाई अन्यथा ईमानदारी, अच्छे आचरण के खिलाफ है या है

बोझिल, कठोर या गलत या दुर्भावनापूर्ण या संपार्श्विक उद्देश्य के लिए, यह धारा 397 के तहत उत्पीड़न के बराबर होगा और

398 . (ई) एक बार जब धारा 397 और 398 के तहत आचरण दमनकारी पाया जाता है, तो कंपनी लॉ बोर्ड को धारा 402 के तहत अधिकार निर्धारित करने, उपचार करने या समाप्त करने के लिए विवेकाधीन शक्ति दी जाती है।

इस तरह का उत्पीड़न बहुत व्यापक है।

(च) ऐसे कौन से तथ्य हैं जो उत्पीड़न को जन्म देते हैं या दमन का गठन करते हैं, यह मूल रूप से तथ्य का प्रश्न है और इसलिए, क्या कोई कार्य दमनकारी है या नहीं, यह मूल रूप से/मूल रूप से तथ्य का प्रश्न है।

71. यह भी आग्रह किया गया कि मोरल और श्री आर. पी. मित्तल के बीच अंतर-स्थानांतरण से श्री अशोक मित्तल पर कोई अत्याचार नहीं किया जा सकता है। द.

अवमूल्यन के बारे में पता लगाना भी सही नहीं है। एच. क्यू. आर. एल. मोरल और श्री आर. पी. मित्तल के बीच उपरोक्त लेनदेन के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठा सकता था। हिलक्रेस्ट द्वारा किया गया दावा कि वे दिनांकित 10.5.2005 प्रस्ताव पर मतदान करने के हकदार थे, कानून का सही प्रस्ताव नहीं है। इस संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 205 पर निर्भरता रखी गई है। विद्वान वकील ने यह भी आग्रह किया है कि किसी कंपनी में शेयरधारकों की स्थिति भागीदारों के समान है, जो पूरी तरह से गलत है। कंपनी शेयरधारकों से अलग एक कानूनी इकाई है।

इस उद्देश्य के लिए, राम पार्थम मित्तल और ओआरएस। वी. होटल क्वीन रोड पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

उन्होंने Mrs.Bacha F. गुज़दार, बॉम्बे बनाम में इस न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया है। आयकर आयुक्त, बॉम्बे ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 74.

72. उत्तरदाताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि Rs.45 करोड़ में से मोरल ने बैंक ऋणों के माध्यम से जुटाई गई राशि का वित्तपोषण किया

लगभग रु। 33.25 करोड़ जो श्री अशोक मित्तल की ऋण योग्यता और श्री आर. पी. मित्तल और श्री अशोक मित्तल की व्यक्तिगत गारंटी के विरुद्ध प्राप्त किए गए थे। श्री आर. पी. मित्तल ने योगदान दिया

लगभग रु। मोरल और श्री अशोक मित्तल को लगभग 6.23 करोड़ रुपये दिए गए। 5. 5 करोड़। इस प्रकार कंपनी में उनकी काफी रुचि थी। हालाँकि कंपनी में उनका केवल एक हिस्सा था। श्री अशोक मित्तल कंपनी के निदेशकों में से एक थे। रुपये का निवेश। 28.29 करोड़ हिलक्रेस्ट द्वारा बनाए गए थे और शेष राशि Rs.40 करोड़

श्री आर. पी. मित्तल और श्री अशोक मित्तल की व्यक्तिगत गारंटी के खिलाफ बैंक ऋण के माध्यम से उठाया गया था। ई. ओ. जी. एम. 4.10.2005 पर आयोजित किया गया था। ई. ओ. जी. एम. में लिए गए प्रस्ताव को अदालत ने प्रथम दृष्टया बरकरार रखा है। पदभार संभालने के बाद, श्री अशोक मित्तल ने एक करोड़ रुपये का निवेश किया है। जिसमें 49.50 करोड़ रुपये शामिल हैं। श्री अशोक मित्तल द्वारा बैंक बकाया और अन्य व्यक्तिगत लेनदारों का भुगतान करने के लिए सीधे 9.50 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था और अधिकार मुद्दे के माध्यम से अन्य 1 करोड़ रुपये जुटाए गए थे। आर. पी. मित्तल समूह शेयरधारिता के अनुपात में शेयरों की पेशकश की लेकिन उन्होंने कोई भी शेयर लेने से इनकार कर दिया। श्री अशोक मित्तल कंपनी में प्रमुख निवेशक हैं। उनके पास 92 प्रतिशत इक्विटी शेयर हैं और श्री आर. पी. मित्तल के पास लगभग 8 प्रतिशत शेयर हैं। 2009 में श्री अशोक मित्तल द्वारा प्रबंधन को संभालने का मामला और जुलाई, 2009 में अधिकारों का मुद्दा अलग-अलग कार्यवाही का विषय है और वर्तमान मामले में इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। राम पुरुषोत्तम मित्तल बनाम मामले में इस न्यायालय द्वारा आदेशित अंतरिम व्यवस्था। हिलक्रेस्ट (सुप्रा) बाध्यकारी है। कंपनी के तत्कालीन निदेशक श्री अशोक मित्तल को कोई नोटिस नहीं दिया गया था। तदनुसार,

कंपनी अधिनियम की धारा 286 के तहत बुलाई गई तीनों बैठकें। इस उद्देश्य के लिए श्री परमेश्वरी प्रसाद गुप्ता बनाम पर निर्भरता रखी गई है। भारत संघ (1973) 2 एस. सी. सी. 543। ये प्रस्ताव कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 300 का भी उल्लंघन करते हैं। बार-बार उल्लंघन किया गया। विवादित प्रस्तावों के अनुसार की गई कार्रवाई दमनकारी थी क्योंकि उनमें 1956 के कंपनी अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों का बार-बार उल्लंघन किया गया था और श्री अशोक मित्तल या हिलक्रेस्ट को कोई नोटिस दिए बिना गुप्त रूप से किया गया था। एच. क्यू. आर. एल. में मोरल के शेयरों को स्थानांतरित करके एच. क्यू. आर. एल. बनाम सार्वजनिक कंपनी, मोरल की वैधानिक स्थिति को बदलने का प्रयास हिलक्रेस्ट के तरजीही शेयरधारकों के हित के खिलाफ था, इसलिए यह दमनकारी है।

रेस्ट और श्री अशोक मित्तल ने भी उपरोक्त का समर्थन किया है।

मुद्दे। 73. श्री जयदीप गुप्ता, विद्वान वरिष्ठ वकील ने उक्त निवेदन को घर ले जाने के लिए रामसिंह पी. गायकवाड़ (ऊपर) के निम्नलिखित पैराग्राफ पर इस प्रकार भरोसा रखा हैः

या राहत, जैसा कि अदालत को उचित और उचित लग सकता है, आवश्यक है। (बेनेट कोलमैन एंड कंपनी बनाम देखें। भारत संघ [(1977) 47 संयुक्त मामले 92 (बम)] और सैयद मोहम्मद अली बनाम। आर. सुंदरमूर्ति; 1958 2 एमएलजे 259)। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि धारा 397 निदेशक मंडल की ओर से चूक या कमीशन के प्रत्येक कार्य के लिए एक उपाय प्रदान करती है। स्थिति की अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए राहत दी जानी चाहिए और अदालत को अभिलेखों पर लाई गई सामग्री का विश्लेषण करने पर एक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि कंपनी के मामले ऐसे थे कि उसे बंद करने का आदेश देना न्यायसंगत और न्यायसंगत होगा और निदेशक मंडल के माध्यम से अपने प्रमुख पद का दुरुपयोग करने के कारण काम करने वाले बहुमत ने अल्पसंख्यक शेयरधारकों पर अत्याचार किया था। इस प्रकार, शिकायत किया गया आचरण ऐसा होना चाहिए जिससे याचिकाकर्ताओं सहित सदस्यों के एक अल्पसंख्यक वर्ग और शेयरधारकों पर अत्याचार किया जा सके, जिसे अनिवार्य रूप से बहुमत का कार्य होना चाहिए। इसके अलावा, मामले में प्राप्त होने वाली तथ्य स्थिति अदालत को न्यायसंगत और न्यायसंगत नियमों को लागू करने में सक्षम बनाएगी, भले ही कंपनी को बंद करने का आदेश पारित करने के लिए मामला बनाया गया हो, लेकिन इस तरह का बंद करने का आदेश अदालत के लिए अनुचित होगा।

अल्पसंख्यक सदस्य। कंपनी अधिनियम, 1956 के उपरोक्त प्रावधानों के तहत राहत देते समय शेयरधारकों की तुलना में कंपनी का हित अदालत के दिमाग में सबसे ऊपर होना चाहिए।

उन्होंने परमेश्वरी प्रसाद ए वी के फैसले पर भी भरोसा किया है। भारत संघ (ऊपर), न्यायालय ने कहाः

" 10. अब, इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि निदेशक मंडल की बैठक के सभी निदेशकों को नोटिस 1 PARSHOTAM MITTAL & ORS की वैधता के लिए आवश्यक था।

वी. होटल क्वीन रोड पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

कंपनी, की सेवाओं को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया अपीलार्थी अमान्य था।

रिलायंस को एम. एस. मधुसूदनन बनाम पर भी रखा गया है।

ला कौमुदी (पी) लिमिटेड (ऊपर) इस प्रकारः

" 125. इन परिस्थितियों में, हम मानते हैं कि मधुसूदनन और

उनके समूह को 1.8.1986 दिनांकित नोटिस नहीं दिया गया था। यह है,

इसलिए, यह तय करना अनावश्यक है कि क्या अवधि निर्धारित की गई है

शेयरों के लिए आवेदन करने के लिए नोटिस में बहुत छोटा या इसके विपरीत था

आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ केरल कौमुदी।

126. एक बार हमने माना कि मधुसूदनन और उनका समूह,

केरल कौमुदी में हिस्सेदारी रखने वाले सभी लोगों को नोटिस नहीं दिया गया था

अतिरिक्त शेयरों के आवंटन के लिए आवेदन करने के लिए, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि

रवि और श्रीनिवासन को बाद में शेयरों का आवंटन 8-8-1986 पर आयोजित बैठक और इस तरह के आवंटन की पुष्टि

कथित तौर पर 16-8-1986 पर आयोजित बैठक को दूषित कर दिया गया था और अमान्य "।

रिलायंस को भारत संघ बनाम पर भी रखा गया है। सहयोगी

राष्ट्रीय उत्पाद लिमिटेड और ए. एन. आर. (1970) 3 एससीसी 594:

" 15. शेयरों के आवंटन और उनकी स्वीकृति के लिए आवेदन यह कंपनी और आवेदक के बीच एक अनुबंध है।

कंपनी अधिनियम की धारा 73 (1) एक जुर्माना लगाती है जिसके तहत

शेयरों का आवंटन होने पर शून्य हो जाता है

उसमें विनिर्दिष्ट आकस्मिकता। जुर्माना लगाना निर्भर करता है

विनिमय के उल्लंघन पर और जब लागू किया जाता है तो

शेयरों और कंपनी के लिए आवेदक। इस तरह का प्रावधान होना चाहिए। सख्ती से समझा जाए। जब तक कि क़ानून स्पष्ट रूप से ऐसा प्रदान नहीं करता है,

इसके अलावा, एक निष्कर्ष कि एक्सचेंज ने अभी भी खारिज कर दिया है आवेदन नहीं किया जा सकता है।

(जोर दिया गया)

74. 1956 के अधिनियम की धारा 286 की आवश्यकता से संबंधित

ई से निदेशक, निम्नानुसार हैः

19] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" धारा 286 बैठकों की सूचना।

(1) कंपनी के निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक की सूचना समय के लिए प्रत्येक निदेशक को लिखित रूप में दी जाएगी।

भारत में होने के नाते, और भारत में अपने सामान्य संबोधन पर हर दूसरे से

निर्देशक।

(2) कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जिसका कर्तव्य उपरोक्त सूचना देना है और जो ऐसा करने में विफल रहता है, उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है।

यह विवादित नहीं है कि धारा 286 के तहत निदेशक श्री अशोक मित्तल को तब कोई नोटिस नहीं दिया गया था जब विवादित प्रस्ताव पारित किए गए थे।

पास हो गया।

75. नीडल इंडस्ट्रीज (उपरोक्त) में, इस न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि निदेशक द्वारा पारित प्रस्ताव पूरी तरह से कानूनी हो सकता है।

और फिर भी दमनकारी और इसके विपरीत एक प्रस्ताव जो कानून का उल्लंघन करता है, कंपनी के शेयरधारकों के हित में हो सकता है।

76. संग्रामसिंह पी. गायकवाड़ (ऊपर) में, यह देखा गया है कि उनका आचरण कठोर, बोझिल, गलत, दुर्भावनापूर्ण या ईमानदारी और अच्छे आचरण के खिलाफ एक संपार्श्विक उद्देश्य के लिए है। द इम्पाग्ड श्री अशोक मित्तल के लिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रस्ताव अनुचित हैं, अन्यथा नोटिस की अनुपस्थिति धारा 286 द्वारा अनिवार्य रूप से अमान्य करने के लिए पर्याप्त है।

77. कंपनी अधिनियम की धारा 300 के प्रावधानों को भी सेवा में लगाया गया है जो प्रदान करता है कि इच्छुक निदेशक नहीं है बोर्ड की कार्यवाही में भाग लेना या मतदान करना। धारा 300 यहाँ नीचे निकाली गई हैः

" धारा 300-इच्छुक निदेशक इसमें भाग नहीं लेंगे या मतदान नहीं करेंगे।

बोर्ड की कार्यवाही।

(1) कंपनी का कोई भी निदेशक, एक निदेशक के रूप में, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी भी अनुबंध या व्यवस्था की चर्चा में भाग नहीं लेगा, या उस पर मतदान नहीं करेगा, यदि वह 1 PARSHOTAM MITTAL & ORS है।

वी. होटल क्वीन रोड पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

किसी भी तरह से, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, संबंधित या रुचि रखने वाले

अनुबंध या व्यवस्था में; और न ही ऐसी किसी चर्चा या मतदान के समय कोरम बनाने के उद्देश्य से उसकी उपस्थिति को गिना जाएगा; और यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो उसका वोट शून्य होगा।

(2) उप-धारा (1) इन पर लागू नहीं होगी

(क) एक निजी कंपनी जो न तो सहायक है और न ही किसी सार्वजनिक कंपनी की धारक कंपनी है;

(ख) एक निजी कंपनी जो किसी सार्वजनिक कंपनी की सहायक है, किसी अनुबंध या व्यवस्था के संबंध में, या

उसकी कंपनी; (ग) किसी भी नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का कोई अनुबंध जो -

निदेशक, या उनमें से कोई एक या अधिक, इसके कारण पीड़ित हो सकते हैं

कंपनी के लिए प्रतिभू या प्रतिभू बनना या होना;
((घ) कोई अनुबंध या व्यवस्था जो की गई हो या जिसे किया जाना है।

एक सार्वजनिक कंपनी, या एक निजी कंपनी जो एक सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी है, जिसमें उपरोक्त निदेशक में केवल

((i) यदि वह ऐसी कंपनी का निदेशक है और उसमें ऐसी संख्या या मूल्य के शेयरों का धारक है जो उसे निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य बनाने के लिए आवश्यक है, तो उसे कंपनी द्वारा ऐसे निदेशक के रूप में नामित किया गया है।

उप-धारा (1) में निर्दिष्ट, या
((ii) प्रति सदस्य दो से अधिक नहीं रखने वाला सदस्य होने के नाते

इसकी चुकता शेयर पूंजी का प्रतिशत;

(ई) एक सार्वजनिक कंपनी, या एक निजी कंपनी जो एक सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी है, जिसके संबंध में एक अधिसूचना जारी की जाती है।

उप-धारा (3) के तहत अधिसूचना में निर्दिष्ट सीमा तक।

(3) एक सार्वजनिक कंपनी या एक निजी कंपनी के मामले में जो एक सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी है, यदि केंद्र सरकार

राय है कि किसी भी उद्योग, व्यवसाय या व्यापार को स्थापित करने या बढ़ावा देने की वांछनीयता को ध्यान में रखते हुए, इसमें निहित सभी या किसी भी निषेध को लागू करना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

कंपनी के लिए उप-धारा (1), केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निर्देश दे सकती है कि वह उप-धारा [2019] 7 एस. सी. आर.

ऐसी कंपनी पर लागू नहीं होगा, या उस पर ऐसे अपवादों, संशोधनों और शर्तों के अधीन लागू होगा जो निर्दिष्ट किए जाएं।

अधिसूचना में। (4) प्रत्येक निदेशक जो जानबूझकर इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो पचास हजार रुपये तक हो सकता है।

78. प्रत्यर्थियों की ओर से यह आग्रह किया गया था कि विवादित प्रस्ताव में दो निदेशकों के पक्ष में लिए गए निर्णय, अर्थात्। पी. मित्तल और श्रीमती सरला मित्तल। उन पर चर्चा की गई है और मैंने खुद दो व्यक्तियों के बारे में कहा है। चूंकि निदेशक बोर्ड की बैठक आयोजित करते समय अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए वे इसमें भाग नहीं ले सकते हैं।आयन अपने स्वयं के पक्ष में। इस उद्देश्य के लिए, रिलायंस को डेल एंड कैरिंगटन प्राइवेट रखा गया है। (पी) लिमिटेड और अन्न। वी. पी. के. प्रतापन और

(ऊपर), इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

ये हैंः रीगल (हेस्टिंग्स) लिमिटेड बनाम गुलिवर 1942 (1) सभी ई. आर. 378 (एच. एल.) किलोवेन के लॉर्ड रसेल को निम्नानुसार देखा गया (सभी ई. आर. पी. 387 जी):

" एक सीमित कंपनी के निदेशक कानून के निर्माता होते हैं और अपने लिए एक विशिष्ट पद पर होते हैं। कुछ मामलों में, वे न्यासियों से मिलते-जुलते हैं, दूसरों में वे नहीं। कुछ मामलों में, वे एजेंटों से मिलते-जुलते हैं, दूसरों में वे नहीं। कुछ मायनों में,

वे दूसरों में प्रबंध भागीदारों के समान हैं जो वे नहीं करते हैं। उक्त निर्णय लॉर्ड केम्स द्वारा समानता के सिद्धांतों से उद्धृत है। एक वाक्य में पूरी अवधारणा व्यक्त की गई है। वाक्य चलता हैः (सभी ई. आर. पी. 391 एच)

" इक्विटी एक ट्रस्टी को उसके द्वारा कोई भी लाभ कमाने से रोकती है।

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रबंधन "।

अंततः प्रत्येक मामले में मुद्दा उस मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

14. लिंडले, एम. आर. ने अलेक्जेंडर बनाम में अवलोकन किया। स्वचालित टेलीफोन

कं. (1900) 2 च. 56 :

" कोर्ट ऑफ चांसरी ने हमेशा निदेशकों से पूछताछ की है

अपने शेयरधारकों और 1 PARSHOTAM MITTAL & ORS के प्रति सद्भावना का पालन।

वी. होटल क्वीन रोड पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

उन लोगों के लिए जो कंपनी से शेयर लेते हैं और अपने और दूसरों के साथ सह-साहसी बन जाते हैं जो उनके साथ शामिल हो सकते हैं। उक्ति "कैविएट एम्प्टर" का ऐसे मामलों में कोई अनुप्रयोग नहीं है, और निदेशक जो शेयरधारकों की कीमत पर अपने लिए लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं, उन्हें इस तथ्य के बारे में सूचित किए बिना, उन लाभों को अपने पास नहीं रख सकते हैं और उन्हें कंपनी को उनके लिए जवाबदेह होना चाहिए, ताकि सभी शेयरधारक उनमें भाग ले सकें। ”

होल्डिंग कंपनी के लिए दमनकारी तरीके से किया गया। डिवीजन बेंच ने कंपनी को बंद करने का आदेश दिया। अदालत में एक और अपील की अनुमति मुख्य रूप से इस आधार पर दी गई थी कि कोई उत्पीड़न नहीं था। हालांकि, एक निर्देश जारी किया गया था कि भारतीय शेयरधारक उस राशि के बराबर राशि का भुगतान करते हैं जिसके द्वारा वे अनुचित रूप से समृद्ध हुए थे, अर्थात् रु। 90 x 9495 जो रुपये में आता है। 8,54,550 / - होल्डिंग कंपनी के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

17. नीडल इंडस्ट्रीज मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय ने अनुमोदन के साथ कुछ पुराने अंग्रेजी फैसलों का उल्लेख किया। पुंट वी. साइमन्स (1903) 2 Ch. 506 उद्धृत किया गया था (एस. सी. सी. पी. में। 394, पैरा 105) जिसमें यह आयोजित किया गया थाः

" जहां निदेशकों द्वारा शेयर जारी किए गए थे, कंपनी के सामान्य लाभ के लिए नहीं, बल्कि इसके उद्देश्य के लिए - मतदान शक्ति का बहुमत प्राप्त करके अधिक संख्या में शेयरों के धारक को नियंत्रित करने के लिए, उन्हें उस बैठक को आयोजित करने से रोका जाना चाहिए जिस पर नए शेयरधारकों के वोट होते हैं।

शेयरधारकों का उपयोग किया जाना था।

18. पियरसी वी। एस. मिल्स एंड कंपनी लिमिटेड (1920) 1 Ch.77 ने धारण करते समय एक ही सिद्धांत लागू कियाः (सभी ई. आर. पी. 316 डी-ई)

" जैसा कि मैं समझता हूं, दोनों मामलों का आधार यह है कि निदेशक केवल शेयर जारी करने की अपनी शक्तियों का उपयोग करने के हकदार नहीं हैं।

कंपनी के मामलों पर अपना और अपने दोस्तों का नियंत्रण बनाए रखने के उद्देश्य से,

या केवल वर्तमान की इच्छाओं को विफल करने के उद्देश्य से

अधिकांश शेयरधारक "।

20. इन मामलों से यह सिद्धांत निकाला गया है कि जब शक्तियाँ जिनका उपयोग केवल एक बाहरी उद्देश्य जैसे रखरखाव या कंपनी के मामलों पर नियंत्रण के अधिग्रहण के लिए किया जाता है, उन्हें बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

21. इंग्लैंड सहित राष्ट्रमंडल देशों में न्यायालय और ऑस्ट्रेलिया ने इस बात पर जोर दिया है कि निदेशकों का कर्तव्य "ईमानदारी से कार्य करने" की आवश्यकता पर नहीं रुकता है। उन्होंने कंपनी के निदेशकों के कर्तव्यों के संबंध में 'उचित उद्देश्य सिद्धांत' नामक एक सिद्धांत विकसित किया है। हॉग वी. क्रैम्पहॉर्न (ऊपर), पारंपरिक प्रामाणिक परीक्षण के अलावा उचित उद्देश्य परीक्षण को स्पष्ट मान्यता दी गई थी। इस मामले में निदेशक ने अधिग्रहण बोली से बचने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ कंपनी के कर्मचारियों के लाभ के लिए स्थापित एक योजना के न्यासियों को विशेष मतदान अधिकार वाले शेयर आवंटित किए थे। बकले, जे. ने एक तथ्य के रूप में पाया कि 1 PARSHOTAM MITTAL & O आरएस।

वी. होटल क्वीन रोड पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

निर्देशकों ने व्यक्तिपरक सद्भावना के साथ काम किया था। वे वास्तव में ईमानदारी से मानते थे कि उनके कार्य कंपनी के सर्वोत्तम हित में थे। इसके बावजूद यह देखा गयाः (सभी ई. आर. पी. 427 ई)

" योजना का एक अनिवार्य तत्व, और वास्तव में इसका प्राथमिक उद्देश्य, निदेशकों द्वारा कंपनी का नियंत्रण सुनिश्चित करना था

और जिन्हें वे विश्वासपूर्वक अपना मान सकते थे

समर्थक "।

22. इस प्रकार, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अनुचित उद्देश्य के लिए शक्ति के प्रयोग के परिणामस्वरूप आवंटन को अलग रखा जा सकता है। उन्होंने यह भी माना कि शेयर जारी करने की शक्ति प्रत्ययी प्रकृति की है। हावर्ड स्मिथ लिमिटेड बनाम। एम्पोल पेट्रोलियम लिमिटेड 1974 ए. सी. 821, प्रिवी काउंसिल ने बकले, जे. द्वारा व्यक्त उपरोक्त दृष्टिकोण की पुष्टि की जो उचित-उद्देश्य सिद्धांत के लिए प्राथमिकता को दर्शाता है। प्रिवी काउंसिल ने महसूस किया कि प्रामाणिक

रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स (होल्डिंग्स) लिमिटेड बनाम में इंग्लैंड में अपील न्यायालय के दो फैसलों द्वारा विराम दिया गया था। ब्रिटिश स्टील निगम 1986 सीएच 246 और बिशप्सगेट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड (परिसमापन में) v. मैक्सवेल (नंबर 2) (1994) 1 ऑल ईआर 261 (सीए)। बिशप्सगेट (ऊपर) में अपील न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि केवल निदेशकों की ईमानदारी उनके कार्यों के औचित्य का निर्धारण नहीं करेगी। एक समानांतर में

ऑस्ट्रेलिया में विकास व्हाइटहाउस बनाम में उच्च न्यायालय के एक निर्णय में उचित उद्देश्य सिद्धांत को मंजूरी दी गई है। कार्लटो होटल पीटीवाई। लिमिटेड (1987) 162 सी. एल. आर. 285।

23. टी ब्रोकर्स (पी) लिमिटेड बनाम हेमेंद्र प्रसाद बरूआ (1998) 5 कॉम्प एल. जे. 463 भी एक अल्पांश शेयरधारक का मामला था जिसने कंपनी का प्रबंध निदेशक बनने पर कंपनी के प्रबंधन पर नियंत्रण हासिल करने के लिए उसके पक्ष में और शेयर पूंजी जारी की। बरुआ और उनके दोस्त और रिश्तेदार प्रतिवादी कंपनी के बहुसंख्यक शेयरधारक थे, जिनके पास कंपनी की कुल जारी पूंजी का 67 प्रतिशत था। कंपनी द्वारा जारी किए गए 1155 शेयरों में से बरूआ के पास व्यक्तिगत रूप से 300 इक्विटी शेयर थे।

वह बिल्कुल

[2019] 7 एस. सी. आर. थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मैटेरियल टाइम्स कंपनी का निदेशक। उसका मामला यह था कि वह

गलत तरीके से और अवैध रूप से कंपनी के प्रबंधन से निष्कासित कर दिया गया था। एक खुंड, जिसने शुरू में एक कर्मचारी के रूप में शुरुआत की थी

कंपनी के पास कंपनी में 110 शेयर थे और यह अल्पसंख्यक समूह से संबंधित थी। खुंड को कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था। बरुआ की शिकायत थी कि खुंड ने प्रबंध निदेशक के रूप में अपने पद का लाभ उठाया और एक में काम किया

कंपनी के हितों के लिए हानिकारक और प्रतिकूल और अपने स्वयं के हित के लिए अनुकूल तरीके से। खुंड ने अन्य निदेशकों के साथ एक योजना बनाई थी, ताकि याचिकाकर्ता बरूआ को अल्पसंख्यक में परिवर्तित किया जा सके और कंपनी के मामलों का पूर्ण और अनन्य नियंत्रण और प्रबंधन प्राप्त किया जा सके। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 397 और 398 के तहत दायर एक याचिका में, खुंड के कृत्यों को कंपनी अधिनियम की धारा 397 और 398 के अर्थ के भीतर 'उत्पीड़न और कुप्रबंधन' के रूप में पाया गया। कंपनी द्वारा 100 इक्विटी शेयरों का आवंटन खुंड को

निदेशक मंडल की 14 जनवरी, 1971 को हुई बैठक को अवैध माना गया। कंपनी के निदेशक मंडल को हटा दिया गया और कंपनी का प्रबंधन करने के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया।

बरूआ, खौंद और श्रमिक संघ के प्रतिनिधि। न्यायालय द्वारा कई अन्य निर्देश जारी किए गए थे जिनका यहाँ उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। डिवीजन बेंच ने विचार किया

प्रासंगिक कानूनी स्थिति के बारे में विस्तार से। 'उचित उद्देश्य सिद्धांत' वाक्यांश का उपयोग किए बिना उसमें प्रतिपादित सिद्धांत को लागू किया गया था। न्यायमूर्ति ए. एन. सेन की निम्नलिखित टिप्पणियाँ पुनः प्रस्तुत की गई हैं:

" यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि निदेशक अपनी शक्तियों का उपयोग ईमानदारी से और कंपनी के हित में कर सकते हैं। यदि निदेशक ईमानदारी से और कंपनी के हित में शेयरों के आवंटन की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो शक्तियों का उक्त प्रयोग उचित और वैध माना जाना चाहिए और शक्तियों के उक्त प्रयोग पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है और केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जाएगा क्योंकि उनका कोई सहायक अतिरिक्त उद्देश्य है, भले ही यह उनके लाभ को बढ़ावा देने के लिए हो। शेयरों के आवंटन के मामले में निदेशकों द्वारा शक्ति का प्रयोग, यदि

दुर्भावनापूर्ण और अपने स्वयं के हित में और कंपनी के हित में नहीं, अमान्य होगा, भले ही आवंटन के परिणामस्वरूप कंपनी को कुछ लाभ हो सकता है। ”

1 पर्शोटम मित्तल और ओआरएस। वी. होटल क्वीन रोड पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

27. पियरसी v के मामले का संदर्भ दिया गया है। एस. मिल्स एंड

कं. लिमिटेड [1920 1 Ch 77] जहाँ निदेशक, जो केवल नियंत्रित करते थे कंपनी में मतदान शक्ति का एक अल्पांश को आवंटित शेयर

स्वयं और उनके मित्रों के सामान्य लाभ के लिए नहीं कंपनी, लेकिन केवल इस तरह एक अधिग्रहण करने के इरादे से

मतदान शक्ति का बहुमत और इस प्रकार को हराने में सक्षम होना

मौजूदा अल्पांश शेयरधारकों की इच्छाएँ। यह माना गया था कि,

यह मानते हुए भी कि निदेशक इस पर विचार करने में सही थे

अधिकांश की इच्छाएँ कंपनी के सर्वोत्तम हित में नहीं थीं,

आवंटन अमान्य थे और उन्हें अमान्य घोषित किया जाना चाहिए। यह इस प्रकार है -

इस मामले से कि न्यासी शक्तियों के निदेशकों द्वारा प्रयोग

उन उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए जिनके लिए उन्हें सम्मानित किया गया था

अमान्य है। यह कहा जा सकता है कि हालांकि शेयर जारी करने की शक्ति है

निदेशकों को मुख्य रूप से उन्हें सक्षम बनाने के उद्देश्य से दिया गया

कंपनी के उद्देश्य के लिए आवश्यकता पड़ने पर पूंजी जुटाना, यह

28. यह नीडल इंडस्ट्रीज (उपरोक्त) के निर्णयों से देखा जाएगा। और चाय दलाल (ऊपर) कि भारत में अदालतों ने लागू किया है

निदेशकों द्वारा शक्तियों के प्रयोग का परीक्षण करते समय समान परीक्षण

प्रबंध निदेशक द्वारा अपने कार्यकाल में अतिरिक्त शेयर पूंजी जारी करना। स्वयं की कृपा। मामले के तथ्य कोई कठिनाई पैदा नहीं करते हैं।

विशेष रूप से इस कारण से कि प्रबंध निदेशक के पास न तो है

आगे शेयर पूंजी जारी करने को सही ठहराने के लिए कुछ भी रिकॉर्ड में रखा गया

न ही यह दिखाया गया है कि उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था अतिरिक्त शेयर पूँजी का आवंटन करना। निष्कर्ष अपरिहार्य है कि

न ही अतिरिक्त शेयरों का आवंटन इसके पक्ष में था

आवंटन। आवंटन का उद्देश्य दुर्भावनापूर्ण था, केवल उद्देश्य कंपनी पर नियंत्रण हासिल करना है। इसलिए, हमारे

देखें, रामानुजम को शेयरों का पूरा आवंटन निर्धारित करना होगा

एक तरफ "।

(जोर दिया गया)

79. फायरस्टोन टायर एंड रबर कंपनी v. सिंथेटिक्स और

निकल्स लिमिटेड और अन्य। (ऊपर), यह देखा गया थाः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 300, भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 की धारा 91 बी की तरह, इक्विटी के सामान्य नियम को मूर्त रूप देती है (प्रैट (टी. आर.) देखें। (बॉम्बे) लिमिटेड बनाम। एम. टी. लिमिटेड [1938] 8 कम्प. कैस। 137. इस नियम की सबसे स्पष्ट व्याख्या यह होनी चाहिए

एबरडीन रेल में पाया गया। को. वी. ब्लेकी। [1854] 1 मैक। 461-471 72 (एच. एल.) उस मामले में, लॉर्ड क्रैनवर्थ ने कहाः

" एक निगमित निकाय केवल एजेंटों द्वारा कार्य कर सकता है और यह निश्चित रूप से उन एजेंटों का कर्तव्य है ताकि वे उस निगम के हितों को बढ़ावा देने के लिए सर्वोत्तम रूप से कार्य करें जिसका वे कार्य कर रहे हैं। ऐसे अभिकर्ताओं का कर्तव्य है कि वे अपने सिद्धांत के प्रति प्रत्ययी प्रकृति का निर्वहन करें। और यह सार्वभौमिक अनुप्रयोग का नियम है कि ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसे कार्यों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिनमें उसका व्यक्तिगत हित परस्पर विरोधी हो या हो सकता है या जो संभवतः उन लोगों के हितों के साथ संघर्ष कर सकता है जिनकी वह रक्षा करने के लिए बाध्य है। तो सख्ती से यह है

इस सिद्धांत का पालन किया गया कि इस तरह से किए गए अनुबंध की निष्पक्षता या अन्याय के बारे में कोई सवाल उठाने की अनुमति नहीं है। यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना असंभव है या हो सकता है कि किसी विशेष मामले में इस तरह के अनुबंध की शर्तें ट्रस्ट के हित के लिए सबसे अच्छी रही हैं, जो कि संभव था।

प्राप्त करने के लिए। कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि जिन शर्तों पर एक न्यासी ने उन लोगों की संपत्ति या हितों से निपटने का प्रयास किया है, जिनके लिए वह न्यासी है, वे उतने ही अच्छे रहे हैं जितने किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त किए जा सकते थे-वे यहां तक कि

समय बेहतर रहा है। लेकिन फिर भी इतना लचीला नियम है कि

उस विषय पर किसी भी जांच की अनुमति नहीं है।

लैंड्स कंपनी बनाम। न्यू बेल्जियम (ट्रान्स्वाल) भूमि और विकास कंपनी, [1914] 2 Ch. 488 , 502 (सी. ए.), सिद्धांत इस तरह के स्पष्ट सिद्धांतों पर आधारित है अच्छी समझ है कि यह मुश्किल है

मान लीजिए कि कानून की कोई भी प्रणाली हो सकती है जिसमें वह

नहीं पाया गया, ट्रांसवाल लैंड कंपनी के मामले में पृष्ठ 503 पर यह अभिनिर्धारित किया गया था किः

" जहाँ किसी कंपनी के निदेशक का किसी अन्य कंपनी में शेयरधारक के रूप में हित है या वह किसी अन्य कंपनी के प्रति प्रत्ययी स्थिति में है, और उसके प्रति कर्तव्य है जो किसी अन्य कंपनी में प्रवेश करने का प्रस्ताव कर रही है।

जिस कंपनी के वह निदेशक हैं, उसके साथ वह 1 PARSHOTAM MITTAL & ORS में हैं।

वी. होटल क्वीन रोड पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

इस नियम के भीतर हमारी राय। इसमें उनका व्यक्तिगत हित है।

शासन करता है या एक कर्तव्य देता है जो कंपनी के प्रति उसके कर्तव्य के साथ संघर्ष करता है

जायनि बियो दिथागिरि। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह परस्पर विरोधी है या नहीं। ब्याज लाभकारी रूप से या दूसरों के लिए न्यासी के रूप में उसका होता है।

इस नियम की विशेषता लॉर्ड केर्न्स एल. सी. ने पार्कर बनाम में दी थी।

मैककेना [1874] एलआर 10 सीएच। ऐप. 96 , 118 , तकनीकी या नहीं

मनमाना शासन लेकिन उच्चतम और सच्चे सिद्धांत पर आधारित एक नियम

नैतिकता। इस प्रकार, यह नियम न केवल वहाँ लागू होता है जहाँ कोई संघर्ष होता है।

हितों या हितों और कर्तव्यों के टकराव का, लेकिन यह भी जहां दो कर्तव्यों का टकराव। यह मायने नहीं रखता कि ब्याज एक है या नहीं।

व्यक्तिगत हित या एक प्रत्ययी क्षमता से उत्पन्न होता है या क्या

जो शुल्क देय है वह प्रत्ययी क्षमता में है। वास्तविक संघर्ष है

भी आवश्यक नहीं है। संघर्ष की संभावना लाने के लिए पर्याप्त है

इस नियम के दायरे में मामला और न ही इसका अनुप्रयोग

नियम प्रतिकूल ब्याज की सीमा पर निर्भर करता है। निदेशकों

भारत में एक प्रत्ययी स्थिति में कंपनी की ओर खड़े हों

न्यासी चरित्र को अनुभाग में वैधानिक मान्यता मिली है

यह है कि कंपनी को निष्पक्ष आवाज, सलाह का अधिकार है और इसके निदेशकों का सामूहिक ज्ञान। (बेन्सन वी. देखें। हीथॉर्न; [1842]

1 Y. & C. Ch. कैस। 326 , 341-42 ; इंपीरियल मर्केंटाइल क्रेडिट

एसोसिएशन वी। कोलमैन एंड विक्टर्स लिमिटेड बनाम लिंगार्ड [1927] 1 Ch

323 , 330) . "

(जोर दिया गया)

80. मद्रास ट्यूब कंपनी लिमिटेड और अन्य में। वी. हरि किशन सोमानी और

(ऊपर), यह देखा गया थाः

" मुझे नहीं लगता कि धारा 91 (ए) और 91 (बी) का पैटर्न होना चाहिए

धाराओं के वर्तमान समूह के अधिनियमन पर अधिरोपित

299 , 300 और 301। धारा 301, संदर्भ में, एक रजिस्टर को संदर्भित करता है अनुबंधों और व्यवस्थाओं को रखा जाता है जिसके लिए धारा 297 या धारा

299 लागू होता है। यह, संदर्भ में, धारा 300 का उल्लेख नहीं करता है। यह है।

क्योंकि अनुबंधों के रजिस्टर का उद्देश्य रखना है

अनुबंध और व्यवस्थाओं की सूचना पर शेयरधारक जिसमें

निदेशक रुचि रखते हैं और जिनका उन्होंने खुलासा किया है जबकि

धारा 300 का कार्य काफी अलग है जिसे प्रस्तुत करना है।

बोर्ड की बैठक के किसी भी प्रस्ताव को अमान्य करता है जिसमें कोई रुचि रखता है निदेशक भाग लेते हैं या मतदान करते हैं।

इस चर्चा का परिणाम यह है कि कंपनी के अनुच्छेदों के तहत बोर्ड को दी गई शक्ति के संदर्भ में बोर्ड के एक प्रस्ताव द्वारा एक अतिरिक्त निदेशक की नियुक्ति को कंपनी द्वारा या उसकी ओर से प्रदान की गई व्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए यदि उस नियुक्ति में एक निदेशक है जो नियुक्ति में रुचि रखता है। भाग लेता है या वोट देता है, फिर दो परिणाम आते हैं। एकटा ई अछि जे ओ कोरम नहि बना सकलाह; दोसर ई अछि जे प्रस्ताव स्वयं शून्य अछि। इस मामले में एच. एम. पेरीवाल को पी. सी. पेरीवाल का भाई होने के नाते उस अभिव्यक्ति के वास्तविक अर्थ में निदेशक मंडल में अपने भाई की नियुक्ति में रुचि रखने वाला माना जाना चाहिए। के रूप में

सर्वोच्च न्यायालय के पास फायरस्टोन मामले (1970) 2 कंपनी लॉ जर्नल पृष्ठ 200) में इंगित करने का अवसर था, 'इच्छुक या संबंधित' अभिव्यक्तियाँ अपने अर्थ में काफी व्यापक हैं और उनमें न केवल एक वित्तीय चिंता या हित शामिल है, बल्कि पिता और पुत्र, पिता और बेटी, पति और पत्नी, भाई और बहन आदि के बीच संबंधों की निकटता से उत्पन्न होने वाली कोई भी रुचि शामिल है। इसलिए मैं संतुष्ट हूं कि इस मामले में पहला प्रस्ताव कोरम में नहीं था क्योंकि एच. एम. पेरीवाल मतदान में भाग लेने के हकदार नहीं थे और प्रस्ताव स्वयं वैध नहीं था क्योंकि एच. एम. पेरीवाल ने उस प्रस्ताव को वोट दिया था। इसके बाद पी. सी. पेरीवाल को अतिरिक्त निदेशक के रूप में वैध रूप से नियुक्त नहीं किया गया।

एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स

जैसा कि मैंने पहले समानता के मौलिक सिद्धांत की टिप्पणी की थी जो अदालतों के सभी फैसलों में एक सुनहरे धागे की तरह चलता है

यह है कि कोई भी निदेशक बोर्ड की बैठक में भाग नहीं ले सकता है या मतदान नहीं कर सकता है जहां वह जानता है कि उसके कर्तव्य और हित परस्पर विरोधी हैं या प्रतिस्पर्धा में होने की संभावना है। यह नियम एक निदेशक के कार्यालय से जुड़ा होता है जो एक प्रत्ययी चरित्र का होता है। निगमित उद्यम, जिनमें अंतिम संपत्ति शेयरधारक होते हैं, को सौंपा जाता है। पूरी तरह से निदेशक मंडल के हाथों में। निगम उद्यम का प्रबंधन और प्रशासन बोर्ड को दिए जाने का एकमात्र आधार शेयरधारकों द्वारा निदेशकों में व्यक्त किया गया विश्वास और विश्वास है। इसलिए, यह सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी भी लेन-देन में जिसमें निदेशक कंपनी के निदेशकों के रूप में भाग लेते हैं, उन्हें न केवल उसमें अपने व्यक्तिगत हितों की घोषणा करनी चाहिए, बल्कि उन्हें किसी भी निर्णय लेने में भाग लेने से बचना चाहिए। सिद्धांत यह है कि बोर्ड एक निकाय के रूप में कार्य करता है। एक निकाय के रूप में बोर्ड के कार्य को कैसे आकार दिया जाता है, यह एक विषय है।

वी. होटल क्वीन रोड पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

निर्देशकों के दिमाग के अंतर-खेल पर छोड़ दिया, और संबंधित

दूसरों को अपने साथ ले जाने के लिए प्रत्येक की ताकत या कमजोरी।

यदि, इसलिए, एक निदेशक जो बोर्ड के निर्णय को प्रभावित कर सकता है,

एक या दूसरे तरीके से विषय वस्तु में रुचि रखने वाला व्यक्ति है। विचार-विमर्श और फिर भी बैठक में भाग लेता है,

और निदेशक के हित उनके हितों के समान नहीं हैं। कंपनी, कंपनी और शेयरधारकों को अंतिम नुकसान

अच्छी तरह से कल्पना की जा सकती है। यह सिद्धांत कि जहाँ एक निर्देशक के पास है

व्यक्तिगत हित में, उसे बोर्ड में भाग नहीं लेना चाहिए

विचार-विमर्श इतना पवित्र है कि इसे स्थापित करने के लिए आगे की जांच की आवश्यकता नहीं है। सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए कुछ भी निर्णय नहीं लिए गए।

भागीदारी की अनुमति देने से कंपनी को कोई नुकसान नहीं हो सकता है

एक इच्छुक निर्देशक, और फिर भी भागीदारी, अपने आप में, द्वेषपूर्ण है।

(जोर दिया गया)

81. उपरोक्त निर्णयों के आलोक में यह अनुचित था

स्वयं को शेयर आवंटित करने के लिए और श्री अशोक को बाहर करने के लिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और वह भी बिना

उसे नोटिस।

82. यह भी प्रस्तुत किया गया था कि हिलक्रेस्ट का कोई अधिकार नहीं होगा

क्योंकि 1956 के कंपनी अधिनियम के 87 में निहित प्रावधानों को देखते हुए कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया था। रिलायंस को रखा गया है

पक्षीय निर्णयः

श्रीमती बाचा एफ. गुज़दार, बॉम्बे (ऊपर), न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" 9. यह तर्क दिया गया था कि किसी कंपनी में शेयरधारकों की स्थिति

यह भागीदारों 'इंटर से' के समान है। यह सादृश्य पूरी तरह से है

साझेदारी के व्यवसाय को जारी रखना और कानूनी रूप से फर्म का नाम भागीदारों का वर्णन करने का एक शानदार तरीका है। ऐसा ही है,

हालाँकि, एक कंपनी का मामला नहीं है जो एक अलग कंपनी के रूप में खड़ी है।
कानूनी इकाई शेयरधारकों से अलग होती है। हैल्सबरी के कानूनों में
इंग्लैंड का, खंड 6 (तीसरा संस्करण), पृष्ठ 234, के बारे में कानून
शेयरों की विशेषताएँ इस प्रकार बताई गई हैं:

" शेयर, शेयर पूँजी की एक निर्दिष्ट राशि का अधिकार है।
अपने साथ कुछ अधिकार और देनदारियाँ रखने वाली कंपनी का, जबकि
कंपनी एक चालू चिंता है और अपने समापन में है। इन शेयरों
या किसी कंपनी में किसी भी सदस्य का अन्य हित व्यक्तिगत संपत्ति [2019] 7 एस. सी. आर. है।

इसके लेखों द्वारा प्रदान किए गए तरीके से हस्तांतरणीय, और के नहीं हैं

अचल संपत्ति की प्रकृति। ”

(ख) राष्ट्रीय वस्त्र श्रमिक संघ और अन्य में यह न्यायालय। वी. पी. कृष्ण और अन्य। (1983) 1 एस. सी. सी. 228 ने देखा हैः

" 9. हालाँकि, की ओर से काफी निर्भरता रखी गई थी

उत्तरदाता सं। 6 कंपनी कानून पर प्रमुख पाठ्य पुस्तकों में निहित इस बिंदु पर कानून के बयान पर 9 तक। उत्तरदाता

नं. 6 9 ने पृष्ठ 77 पर पामर कंपनी प्रेसीडेंट्स (17 वां संस्करण) खंड 2 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जहां यह कहा गया है कि कोई भी लेनदार या शेयरधारक याचिका का समर्थन या विरोध करते हुए दिखाई दे सकता है, लेकिन

कंपनी के निरंतर अस्तित्व में अप्रत्यक्ष रुचि होने पर भी कोई और ऐसा नहीं कर सकता है। तो बकली में भी

कंपनी अधिनियम (14 वां संस्करण) के पृष्ठ 546 पर कानून के बारे में बताया गया है।

निम्नलिखित शर्तों में, अर्थात्, "केवल कंपनी, उसके लेनदार और अंशदाता ही सुनवाई के हकदार व्यक्ति हैं। अदालत अपने विवेकाधिकार पर अन्य व्यक्तियों को सुन सकती है जो यह जानने के लिए रुचि रखते हैं कि बंद करने के पक्ष में या विरोध में कौन से सार्वजनिक आधार हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को केवल न्याय मित्र के रूप में सुना जा सकता है और वे अपील नहीं कर सकते हैं" हमारा ध्यान इंग्लैंड के हैल्सबरी के कानूनों पर भी आमंत्रित किया गया था। खण्ड. 7 जहाँ समान कथन पृष्ठ 614 पैराग्राफ 1028 पर पाया जा सकता है। अब यह निस्संदेह सच है कि इन तीन प्रमुख पाठ्य पुस्तकों में निहित कानून के बयान के अनुसार, यह केवल कंपनी, लेनदार और योगदानकर्ता हैं जो समापन याचिका पर उपस्थित होने के हकदार हैं और किसी अन्य व्यक्ति के पास कोई अधिकार नहीं है।

सुनने का अधिकार है, लेकिन कानून का यह कथन री में पुराने निर्णय पर आधारित है। ब्रैडफोर्ड नेविगेशन कंपनी जिसे अपील में लिया गया था और री के रूप में तय किया गया था। ब्रैडफोर्ड नेविगेशन कंपनी। यह निर्णय सौ साल पहले अंग्रेजी अदालतों द्वारा दिया गया था जब एक कंपनी को केवल एक कानूनी उपकरण के रूप में माना जाता था। व्यापार या व्यवसाय करने के उद्देश्य से शेयरधारकों के बीच एक संविदात्मक व्यवस्था के परिणामस्वरूप होने के लिए और श्रमिकों को स्वामी और सेवक संबंध के तहत काम करने वाले कंपनी के कर्मचारियों के रूप में देखा जाता था और

उपभोक्ता के रूप में या अन्यथा जनता का हित एक पूरी तरह से अप्रासंगिक विचार था और वर्तमान में इसकी कोई वैधता नहीं हो सकती है।

ऐसा समय जब किसी कंपनी की पूरी अवधारणा बदल गई है और इसे एक गतिशील सामाजिक-आर्थिक संस्थान में बदल दिया गया है।

वी. होटल क्वीन रोड पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

जिसमें पूंजी और श्रम दोनों समान भागीदार हैं, संभवतः श्रम के पक्ष में भारी महत्व के साथ और उपभोक्ता के रूप में जनता के हित के साथ-साथ समुदाय के सामान्य कल्याण और सामान्य भलाई भी एक महत्वपूर्ण विचार का गठन करते हैं। हम अतीत के मृत हाथ को जीवित वर्तमान के विकास को रोकने की अनुमति नहीं दे सकते।

कानून स्थिर नहीं रह सकता; इसे बदलती सामाजिक अवधारणाओं और मूल्यों के साथ बदलना चाहिए। अगर पेड़ की रक्षा करने वाली छाल पेड़ के साथ बढ़ने और विस्तार करने में विफल रहती है, तो यह या तो पेड़ को दबा देगी या अगर यह एक जीवित, पेड़ है, तो यह उस छाल को गिरा देगा और एक नया जीवन विकसित करेगा।

यांत्रिक रूप से एक वैध कानूनी नियम के रूप में स्वीकार करें जिसे पिछली शताब्दी में अंग्रेजी अदालतों का समर्थन मिला जब लैसेज़ फेयर का सिद्धांत प्रचलित था। यह हो सकता है कि आज भी इंग्लैंड में अदालतें उसी कानूनी नियम का पालन कर रही हों जो लगभग निर्धारित किया गया था। सौ साल पहले, लेकिन यह कोई कारण नहीं हो सकता कि हमें भारत में भी ऐसा ही करना जारी रखना चाहिए। यह संभव है कि इस कानूनी नियम को अभी भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकों में जगह मिल रही हो क्योंकि पिछले 30 वर्षों में इंग्लैंड में वर्तमान जैसा कोई मामला सामने नहीं आया है और अंग्रेजी अदालतों को वर्तमान समय में इस कानूनी नियम की स्वीकार्यता पर विचार करने का कोई अवसर नहीं मिला होगा। लेकिन जो भी कारण हो कि यह कानूनी नियम अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकों में बना हुआ है, हमें अपने देश में इसे अपनाने के लिए केवल इस आधार पर राजी नहीं किया जा सकता है कि इसे इंग्लैंड में एक वैध नियम के रूप में स्वीकार किया गया है। हमें अपने स्वयं के न्यायशास्त्र का निर्माण करना होगा और हालाँकि हम जो भी स्रोत से प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने निर्णय को आत्मसमर्पण नहीं कर सकते हैं और इंग्लैंड में जो भी निर्णय लिया गया है उसे अपने देश में वैध के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इस नियम का पुनः उल्लेख किया गया हैः ब्रैडफोर्ड नेविगेशन कंपनी मामला (ऊपर दिया गया) हमारे लिए स्वयं की सराहना नहीं करता है और हालांकि एडवर्ड टेक्सटाइल्स लिमिटेड (ऊपर दिया गया) में बॉम्बे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा इसका पालन किया गया है, हमें नहीं लगता कि यह सही कानून का प्रतिनिधित्व करता है।

(ग) उन्होंने हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, वॉल्यूम डी एड का भी उल्लेख किया है।) , पृष्ठ 234, शेयरों की विशेषताओं के बारे में कानून इस प्रकार है 1 :

" एक शेयर एक कंपनी की शेयर पूंजी की निर्दिष्ट राशि का अधिकार है जो अपने साथ कुछ अधिकार और देनदारियां रखता है जबकि कंपनी एक चालू संस्था है और इसके समापन में है। कंपनी में किसी भी सदस्य के शेयर या अन्य हित उसके लेखों द्वारा प्रदान किए गए तरीके से व्यक्तिगत संपत्ति हस्तांतरणीय होते हैं, और अचल संपत्ति की प्रकृति के नहीं होते हैं।

(घ) रिलायंस को भी मेसर्स पर रखा गया है। कोठारी टेक्सटाइल्स लिमिटेड, के रूप में और अन्य। वी. धन कर आयुक्त, मद्रास; ए. आई. आर. 1963

274 जिसमें उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः

" 25. अनुच्छेद 147 में यह भी प्रावधान किया गया है कि धारा 205 और 208 द्वारा प्रदान किए गए वर्ष के लाभ या किसी अन्य अवितरित लाभ के अलावा कोई भी लाभांश देय नहीं होगा। यह स्पष्ट है

कि वरीयता शेयरों के धारकों को देय लाभांश अनिवार्य रूप से वितरण योग्य लाभ होने पर निर्भर होना चाहिए और प्रासंगिक वस्तु के संदर्भ में, वरीयता शेयरधारकों को जो मिलता है वह केवल इक्विटी शेयरधारकों पर भुगतान करने की प्राथमिकता है। कंपनी को बंद करने पर वे कुछ विशेष अधिकारों के हकदार हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वितरण योग्य लाभ हैं या नहीं, यह सामान्य निकाय को तय करना है और केवल तभी जब सामान्य निकाय लाभांश घोषित करता है तो वरीयता वाले शेयरधारक भुगतान करने के हकदार होंगे।

(ई) ट्रोजन इक्विटी लिमिटेड बनाम। सीएमआई लिमिटेड [2009] क्यूएससी (क्वींसलैंड का सर्वोच्च) 114 शेयरधारकों के अधिकारों के संबंध में, यह वेद थाः

" 16. यह तर्क कि नियमों के वाणिज्यिक उद्देश्य का समर्थन "बकाया" के रूप में किया जाता है, उस स्थिति पर लागू होता है जहां लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है, न कि केवल जहां उन्हें घोषित किया गया है और भुगतान नहीं किया गया है, के संदर्भ में विकसित किया गया था

ए. एस. एक्स. सूचीकरण नियम 6.3 में यह प्रावधान है कि तरजीही हिस्से के धारक को उस अवधि के दौरान मतदान करने का अधिकार होना चाहिए जिसमें लाभांश या लाभांश का हिस्सा बकाया है। हालाँकि, मुझे लगता है कि यह केवल सवाल पूछने के लिए है। तर्क यह था कि नियमों का उद्देश्य, जहां कोई लाभांश का भुगतान नहीं किया जा सकता था क्योंकि

कोई लाभ नहीं था, व्याख्या 1 PARSHOTAM MITTAL & ORS को अपनाकर बढ़ाया गया था।

वी. होटल क्वीन रोड पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

यह वर्ग ए के शेयरधारकों को तब मतदान करने की अनुमति देगा जब लाभांश का भुगतान नहीं किया गया था, भले ही निदेशकों द्वारा कोई घोषणा की गई हो। निवेदन यह था कि उन नियमों का कार्य संगठनों के लिए आवश्यकताएं निर्धारित करना है

जिनकी प्रतिभूतियों का सार्वजनिक रूप से व्यापार किया जाना है। वरीयता शेयरों के मतदान पर प्रतिबंध और उस प्रतिबंध के अपवाद, जैसा कि सूचीकरण नियमों में निर्धारित किया गया है, दोनों का व्यावसायिक उद्देश्य कंपनी के मतदान नियंत्रण को सामान्य शेयरधारकों के हाथों में छोड़ना था, सिवाय इसके कि जब स्थितियों की पहचान की गई हो।

सूचीकरण नियम तब उत्पन्न हुआ, जब वरीयता शेयरधारक को वोट देने का अतिरिक्त अधिकार और संरक्षण प्रदान किया गया था। श्री जैक्सन क्यू. सी. ने प्रस्तुत किया कि उस उद्देश्य के बारे में कुछ भी निर्धारित या सुझाव नहीं दिया गया है कि आर के संचालन को प्रतिबंधित करके इसे बेहतर तरीके से पूरा किया जाएगा। 30.16 (ग) घोषित लेकिन भुगतान नहीं किए गए लाभांश।

शेयरधारकों ने कंपनी को लाभांश घोषित करने के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन दिया क्योंकि जब लाभांश का भुगतान तरजीही शेयरधारकों को नहीं किया जाता था तो साधारण शेयरधारकों को भी और लंबी अवधि के लिए भुगतान नहीं किया जाता था। ध्यान आकर्षित करने के लिए संविधान द्वारा भाषा का उपयोग करने पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अंग्रेजी के किसी भी सामान्य उपयोग में लाभांश बकाया नहीं हो सकता है यदि वे कभी नहीं थे।

देय था और कभी देय नहीं होगा।

(जोर दिया गया) (च) रिलायंस को श्री मिश्रा ने इंदौर पर भी रखा था।

लोपमेंट अथॉरिटी बनाम एलआर के माध्यम से शैलेंद्र (मृत)। & ओआरएस। 3) 3 एस. सी. सी. 412 इस प्रकार हैः

" 40. जे. डालमिया बनाम। सी. आई. टी., ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1866, इस न्यायालय ने कहा है कि "भुगतान" अभिव्यक्ति सदस्य द्वारा लाभांश की वास्तविक प्राप्ति पर विचार नहीं करती है। लाभांश का भुगतान धारा 16 (2) के अर्थ के भीतर किया जा सकता है जब कंपनी

अपने दायित्व का निर्वहन करता है और बिना शर्त राशि उपलब्ध कराता है।

इसके हकदार सदस्यः (एयर पी। 1869, पैरा 10)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 10. ..... धारा 16 (2) में "भुगतान" शब्द सही है।

द्वारा लाभांश की वास्तविक प्राप्ति पर विचार नहीं करता है सदस्य। सामान्य तौर पर, लाभांश का भुगतान इसके भीतर किया जाना कहा जा सकता है।

धारा 16 (2) का अर्थ जब कंपनी निर्वहन करती है

इसका दायित्व और लाभांश की राशि बनाता है इसके हकदार सदस्य के लिए बिना शर्त उपलब्ध है।

(जोर दिया गया) "

(छ) सी. डी. एस. वित्तीय सेवा (ऊपर) में यह देखा गया थाः

" 48. वादी के वरीयता शेयरों पर मतदान करने के अधिकार के बारे मेंः

इसलिए, वादी ने शेयरधारक के रूप में मतदान का अधिकार प्राप्त कर लिया है। हालांकि, यह कंपनी का मामला है कि मतदान के अधिकार का प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाई गई शर्तों का उल्लंघन करेगा। यह कंपनी का निवेदन है कि वादी 49 प्रतिशत की सीमा से अधिक मतदान नहीं कर सकता है। इस मुद्दे को समझने के लिए, कुछ स्वीकृत तथ्यों को बताना आवश्यक होगा। जब वादी अधिमानी शेयरों को खरीदकर, इसने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 ("एफ. ई. आर. ए".) की धारा 29 (1) (बी) के तहत भारतीय रिजर्व बैंक से आवेदन किया था और अनुमति प्राप्त की थी। एफ. ई. आर. ए. की धारा 29 (1) (बी) के तहत ऐसी अनुमति देते समय,

(2) कि दिनांकित 6.1.1998 पत्र में निहित शर्तों का पालन किया जाएगा। आई. डी. 1 दिनांकित पत्र में कहा गया है कि विदेशी इक्विटी 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी जैसा कि 1 PARSHOTAM MITTAL & ORS में निवेश करने के लिए नीति के तहत अनुमत है।

वी. होटल क्वीन रोड पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

कंपनियाँ। इसके अलावा डीओटी द्वारा दिए गए लाइसेंस में जब दिनांक 1 के पत्र द्वारा संशोधन किया गया तो यह निर्धारित किया गया कि कुछ शर्तों का हमेशा पालन किया जाएगा और उनका उल्लंघन नहीं किया जाएगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी शामिल है कि विदेशी इक्विटी के 49 प्रतिशत की सीमा होगी और कंपनी का प्रबंधन नियंत्रण भारतीय शेयरधारकों के पास रहेगा।

50. श्री चिदम्बरम के अनुसार इसमें निहित शर्तें

भारतीय रिजर्व बैंक की विशेष अनुमति एफ. ई. आर. ए. की धारा 29 (1) को ध्यान में रखते हुए कंपनी अधिनियम के प्रावधानों पर प्रबल होगी जिसमें एक गैर-अबाधित खंड शामिल है। उन्होंने बताया कि एफ. ई. आर. ए. को विदेशी मुद्रा प्रबंधन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है अधिनियम, 1999 ("फेमा") और फेमा की धारा 49 के आधार पर, विशेष अनुमति सुरक्षित रखी जाती है और अब विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा हस्तांतरण या प्रतिभूति जारी करना) के विनियमन 5 के साथ पठित फेमा की धारा 6 के संबंधित प्रावधानों के तहत दी गई मानी जाती है।

विनियम, 2000 और अनुसूची I जिसे अनुलग्नक बी के साथ पढ़ा जा सकता है।

उक्त अनुसूची के अनुसार। श्री चिदंबरम का तर्क है कि विशेष अनुमति एक सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पारित एक सांविधिक आदेश है। भारतीय रिजर्व बैंक जिसे इस तरह की अनुमति देने की शक्ति संसद द्वारा एफ. ई. आर. ए. की धारा 29 के तहत प्रदान की गई थी और प्रावधानों पर विशेष अनुमति प्रबल होगी।

कंपनी अधिनियम।

56. श्री चागला ने यह भी प्रस्तुत किया कि भारतीय रिजर्व बैंक की शर्तों का उल्लंघन होगा या नहीं, इस पर विचार करने का चरण तभी उत्पन्न होगा जब वादी वास्तव में मतदान के अधिकार का प्रयोग करेगा और उसके अधिकारों को केवल इस आशंका के आधार पर समय से पहले खाली नहीं किया जा सकता है कि इसके परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों का उल्लंघन होगा। हम श्री चागला के निवेदन को इस सरल कारण से स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि इस तरह के मतदान के अधिकार देने का अनिवार्य रूप से प्रभाव होगा

शर्त का उल्लंघन अर्थात। 49 प्रतिशत हिस्सेदारी की सीमा और इसके परिणामस्वरूप प्रबंधन वस्तुतः गैर-भारतीय को हस्तांतरित हो जाएगा।

शेयरधारक। इसके अलावा, यदि वादी द्वारा दावा की गई राहत दी जाती है, तो यह वस्तुतः अंतरिम स्तर पर एक डिक्री पारित करने के बराबर होगा। इसलिए, वरीयता हिस्से के संबंध में मतदान के अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देने के लिए वादी की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। "[2019] 7 एस. सी. आर.

83. कंपनी अधिनियम की धारा 19 (2) में प्रावधान है कि धारा 85 से 89 में कुछ भी निजी कंपनी पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि वह किसी सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी न हो और इस प्रश्न पर अंततः निर्णय लेना होगा कि क्या वह लंबित दीवानी मुकदमे में एक निजी या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जिसे कानून के अनुसार निर्णय के लिए एन. सी. एल. टी. को हस्तांतरित किया गया है। अन्यथा, धारा 87 में यह प्रावधान है कि बैठक के लिए वरीयता शेयरधारकों को भी नोटिस जारी किया जाना चाहिए और उन्हें बैठक में भाग लेने का अधिकार है। यह प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है भले ही लाभांश में

घोषित नहीं किया गया। उस मामले में भी, वरीयता शेयरधारकों को बैठक में मतदान करने का अधिकार होगा।

84. रिलायंस को भी धारा के प्रावधानों पर रखा गया है

169 (4) माँग पर ई. ओ. जी. एम. बुलाने के संबंध में कंपनी अधिनियम। ई. ओ. जी. एम. के संबंध में प्रस्ताव वर्तमान मामले में मुद्दे में नहीं है। इस प्रकार हमें धारा 169 (4) के प्रावधानों और प्रस्तुतियों पर विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है।

85. 1956 के अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के आधार पर प्रस्तुतियों पर आते हैं। धारा 108 यहाँ नीचे निकाली गई हैः

हस्तांतरण उत्पादन को छोड़कर पंजीकृत नहीं किया जाएगा

" धारा 108

हस्तांतरण का साधन।

(1) एक कंपनी शेयरों के हस्तांतरण को पंजीकृत नहीं करेगी, या

अंतरिती द्वारा या उसकी ओर से और अंतरिती का नाम, पता और व्यवसाय, यदि कोई हो, निर्दिष्ट करते हुए, उसे सौंप दिया गया है। शेयरों से संबंधित प्रमाण पत्र के साथ कंपनी या

ऋणपत्र, या यदि ऐसा कोई प्रमाण पत्र मौजूद नहीं है,

शेयरों या डिबेंचरों के आवंटन का पत्रः

अंतरिती द्वारा कंपनी और एक के लिए आवश्यक डाक टिकट धारण करना हस्तांतरण का साधन, यह बोर्ड की संतुष्टि के लिए साबित होता है

निदेशकों का कि हस्तांतरण के साधन पर या उनकी ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं

हस्तांतरणकर्ता का और हस्तांतरणकर्ता द्वारा या उसकी ओर से

खो गया है, कंपनी इस तरह की शर्तों पर हस्तांतरण को पंजीकृत कर सकती है

बोर्ड द्वारा उचित समझी जाने वाली क्षतिपूर्तिः बशर्ते कि इस धारा की कोई भी बात किसी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी

कंपनी की शेयरधारक या डिबेंचर के रूप में पंजीकरण करने की शक्ति 1 PARSHOTAM MITTAL & ORS।

वी. होटल क्वीन रोड पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

धारक कोई भी व्यक्ति जिसे किसी भी शेयर या डिबेंचर का अधिकार है

कंपनी को कानून के संचालन द्वारा प्रेषित किया गया है।

(1ए) शेयरों के हस्तांतरण का प्रत्येक साधन ऐसे रूप में होगा जो निर्धारित किया जाए, औरः

जिस तारीख को इसे प्रस्तुत किया जाता है, और (ख) ऐसी प्रस्तुति की तारीख के साथ निर्धारित प्रपत्र में हस्तांतरण का प्रत्येक दस्तावेज, जिस पर मुहर लगी हो या उस पर अन्यथा समर्थन किया गया हो, हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरणकर्ता द्वारा या उनकी ओर से निष्पादित किए जाने और अन्य सभी मामलों में पूरा किए जाने के बाद,

कंपनी को दिया गया,

(i) किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में लेनदेन किए गए या उद्धृत शेयरों के मामले में, उस तारीख से पहले किसी भी समय जब सदस्यों का रजिस्टर बंद किया जाता है, कानून के अनुसार, खंड (ए) के तहत निर्धारित प्राधिकारी को निर्धारित प्रपत्र प्रस्तुत करने की तारीख के बाद पहली बार या ऐसी तारीख से बारह महीने के भीतर प्रस्तुति , जो भी बाद में हो;

((ii) किसी अन्य मामले में, तारीख से दो महीने के भीतर

ऐसी प्रस्तुति।

(1बी) उप-धारा (1ए) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, शेयरों के हस्तांतरण का एक साधन, जो इससे पहले निष्पादित किया गया था कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1965 (1965 का 31) की धारा 13 का प्रारंभ या निर्धारित प्रपत्र के अलावा किसी अन्य प्रपत्र में इस तरह के प्रारंभ के बाद निष्पादित किया जाएगा।

कंपनी,

(क) किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में लेनदेन या उद्धृत शेयरों के मामले में, किसी भी समय ऐसे प्रारंभ से छह महीने की समाप्ति या उस तारीख से बाद में नहीं जिस पर सदस्यों का रजिस्टर, कानून के अनुसार, इस तरह के प्रारंभ के बाद पहली बार, जो भी बाद में हो, बंद कर दिया जाता है।

(ख) किसी अन्य मामले में, किसी भी समय ऐसे प्रारंभ से छह महीने की समाप्ति के बाद नहीं।

ग) उप-धारा (1 ए) और (1 बी) में निहित कुछ भी लागू नहीं होगा। :

((क) कोई भी अंशः ((i) जो किसी कंपनी द्वारा किसी अन्य निगमित निकाय में निदेशक या नामित व्यक्ति के नाम पर आयोजित किया जाता है। उप-धारा (2), या यथास्थिति, धारा 49 की उप-धारा (3), या (ii) जो केंद्र सरकार या किसी राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगम द्वारा धारित है, का अनुसरण करना।

सरकार, किसी अन्य निगमित निकाय में एक के नाम पर

निदेशक या नामित, या (iii) जिसके संबंध में धारा 153 ख के तहत लोक न्यासी को घोषणा की गई है, यदिः (1) कंपनी या निगम, जैसा भी मामला हो, ऐसे शेयर के संबंध में हस्तांतरण के रूप में मुहर लगाता है या अन्यथा समर्थन करता है, वह तारीख जिस पर वह यह निर्णय लेता है कि ऐसा शेयर उक्त निदेशक या नामांकित व्यक्ति के नाम पर नहीं रखा जाएगा या, यथास्थिति, किसी ऐसे शेयर के मामले में जिसके संबंध में कोई ऐसा शेयर है।

सार्वजनिक न्यासी, जनता को घोषणा की गई है

न्यासी अपनी मुहर के तहत ऐसे हिस्से के संबंध में हस्तांतरण के रूप में मुहर लगाता है या अन्यथा समर्थन करता है, जिस तारीख को

उसे प्रपत्र प्रस्तुत किया जाता है, और (2) ऐसे प्रपत्र में हस्तांतरण का साधन, जो सभी मामलों में विधिवत पूरा किया गया है, निम्नलिखित को दिया जाता हैः (क) निगमित निकाय जिसके हिस्से में ऐसी कंपनी या निगम ने अपने निदेशक या नामित व्यक्ति के नाम पर निवेश किया है, या (ख) कंपनी जिसमें ऐसा हिस्सा न्यास में है, दो के भीतर

(बी) किसी भी व्यक्ति द्वारा जमा किया गया कोई भी हिस्साः ((i) राज्य भारतीय बैंक, या (ii) कोई अनुसूचित बैंक, या (iii) कोई बैंकिंग कंपनी (अनुसूचित बैंक के अलावा) या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा अनुमोदित वित्तीय संस्थान

आधिकारिक राजपत्र (और ऐसी कोई भी मंजूरी इस तरह दी जा सकती है कि वह किसी भी तारीख के लिए पूर्वव्यापी हो जो 1 अप्रैल, 1966 से पहले न हो), या (iv) केंद्र सरकार या कोई राज्य

सरकार या उसके स्वामित्व या नियंत्रण वाला कोई निगम

केंद्र सरकार या राज्य सरकार, सुरक्षा के माध्यम से

ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए किसी दायित्व का निष्पादन, यदिः (1) बैंक, संस्था, सरकार या निगम, जैसा भी मामला हो, हस्तांतरण के रूप में मुहर लगाता है या अन्यथा समर्थन करता है। इस तरह के हिस्से काः (क) वह तिथि जिस पर 1 PARSHOTAM MITTAL & ORS द्वारा ऐसा हिस्सा वापस किया जाता है।

वी. होटल क्वीन रोड पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

जमाकर्ता को, या (बी) की ओर से विफलता की स्थिति में

दायित्व, वह तिथि जिस पर ऐसा शेयर ऐसे बैंक, संस्था, सरकार या निगम द्वारा बिक्री के लिए जारी किया जाता है, या (ग) जहां बैंक, संस्था, सरकार या निगम, जैसा भी मामला हो, अपने नाम से ऐसा शेयर पंजीकृत कराने का इरादा रखता है, वह तिथि जिस पर लिखत ऐसे हिस्से से संबंधित हस्तांतरण का निष्पादन उसके द्वारा किया जाता है; और (2) ऐसे प्रपत्र के हस्तांतरण का साधन, जो सभी में विधिवत पूरा किया गया हो।

सम्मान, दो महीने के भीतर कंपनी को दिया जाता है

तारीख जिस पर इस तरह से मुहर लगी हो या उसका समर्थन किया गया हो।

खंड (क) (i) या खंड (क) (ii), या खंड (क) (iii) में निर्दिष्ट कोई घोषणा, या खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई जमा, इस उप-धारा की, यथास्थिति, उप-धारा (1 ख) के खंड (क) में उल्लिखित अवधि या तिथि की समाप्ति के बाद या उस उप-धारा के खंड (ख) में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के बाद किया जाता हैः उस शेयर के संबंध में हस्तांतरण का रूप, जो ऐसे निवेश, घोषणा या जमा का विषय है, का अर्थ है निर्धारित प्रपत्र;

या

(ग) कोई भी शेयर जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी भी कंपनी में अपने नामित व्यक्ति के नाम पर रखा गया है, सिवाय इसके कि हस्तांतरण का प्रत्येक साधन जो 1 अक्टूबर, 1966 को या उसके बाद निष्पादित किया जाता है, ऐसे किसी भी हिस्से के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में होगा।

(1(घ) उप-धारा (1 क) या उप-धारा में किसी बात के होते हुए भी (1 बी) या उप-धारा (1 सी) जहां केंद्र सरकार की राय में किसी भी मामले में कठिनाई से बचने के लिए ऐसा करना आवश्यक है,

कि सरकार उस ओर से किए गए आवेदन पर, उन उप-धाराओं में उल्लिखित अवधियों को ऐसे और समय तक बढ़ा सकती है जो वह उचित समझे, चाहे वह आवेदन उपरोक्त अवधियों की समाप्ति से पहले या बाद में किया गया हो; और इसके तहत दिए गए विस्तार की संख्या और ऐसे प्रत्येक विस्तार की अवधि को धारा 638 के तहत संसद के सदनों के समक्ष रखी गई वार्षिक रिपोर्ट में दिखाया जाएगा।

19] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(2) किसी ऐसी कंपनी के मामले में जिसके पास कोई शेयर पूंजी नहीं है, उप-धारा (1) इस तरह लागू होगी जैसे कि उसमें शेयरों के संदर्भ थे -

कंपनी में सदस्य के हित के बजाय संदर्भ।

(3) इस धारा में निहित कुछ भी हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरणकर्ता दोनों द्वारा प्रभावित प्रतिभूति के हस्तांतरण पर लागू नहीं होगा।

जिनका एक के अभिलेखों में लाभकारी मालिकों के रूप में दर्ज किया जाता है

भंडार "।

86. यह भी प्रस्तुत किया गया कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 108 का उल्लंघन किया गया है। हिलक्रेस्ट की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि

बोर्ड की बैठक 10.5.2005 पर आयोजित की गई थी जिसमें 32,88,181 एच. क्यू. आर. एल. के शेयरों को मोरल द्वारा श्री आर. पी. मित्तल को कथित रूप से हस्तांतरित किया गया था। से बाहर 32,88,181 शेयर, 8,98,166 शेयर ओवरसीज बैंक के पास पड़े थे और हस्तांतरण की रिकॉर्डिंग के लिए एचक्यूआरएल बोर्ड के समक्ष उपलब्ध थे। शेयरों का हस्तांतरण केवल कंपनी अधिनियम की धारा 108 के अनुसार किया जा सकता है जो शेयर प्रमाण पत्र दाखिल करने का प्रावधान करता है जो मन्नालाल खेतान और अन्य में देखी गई एक अनिवार्य आवश्यकता थी। वी. केदार नाथ खेतान और अन्य। (1977) 2 एस. सी. सी. 424 इस प्रकार हैः

" 16. अधिनियम की धारा 108 में निहित प्रावधान में कहा गया है कि कोई कंपनी शेयरों के हस्तांतरण को तब तक पंजीकृत नहीं करेगी जब तक कि हस्तांतरणकर्ता द्वारा या उसकी ओर से और हस्तांतरणकर्ता द्वारा या उसकी ओर से हस्तांतरण का एक उचित साधन शेयरों या डिबेंचरों से संबंधित प्रमाण पत्र के साथ कंपनी को वितरित नहीं किया गया है या यदि शेयरों के आवंटन पत्र के साथ ऐसा कोई प्रमाण पत्र मौजूद नहीं है। अधिनियम की धारा 108 के दो प्रावधान हैं। हम इन अपीलों में पहले प्रावधान से संबंधित नहीं हैं। दूसरे परंतुक में कहा गया है कि इस धारा की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को शेयरधारक या डिबेंचर धारक के रूप में पंजीकृत करने की कंपनी की किसी भी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी, जिसे कंपनी में किसी भी शेयर या डिबेंचर का अधिकार कानून के संचालन द्वारा प्रेषित किया गया है। शब्द हैं।

पंजीकृत नहीं होंगे "चरित्र में अनिवार्य हैं। अनिवार्य चरित्र भाषा के नकारात्मक रूप से मजबूत होता है।

का पालन किए बिना स्थानांतरण के खिलाफ निषेध

अधिनियम के प्रावधानों पर नकारात्मक भाषा द्वारा जोर दिया जाता है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के आग्रह पर जोर देने के लिए नकारात्मक भाषा का प्रयोग किया जाता है। (बिहार राज्य बनाम देखें।

दरभंगा के महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह [1952] एससीआर 889; के. पेंटिया बनाम। मुद्दला वीरमल्लप्पा [1961] 2 एस. सी. आर. 295 1 पार्श्वम मित्तल और ओ. आर. एस.

वी. होटल क्वीन रोड पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

और आपराधिक अपील में 28 अप्रैल, 1976 का अनिर्दिष्ट निर्णय

279 1975 का और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जबलपुर बनाम।

शिवकांत शुक्ला (1976) 2 एस. सी. सी. 521.) नकारात्मक शब्द स्पष्ट रूप से निषेधात्मक हैं और आम तौर पर बनाने के लिए एक विधायी उपकरण के रूप में उपयोग किए जाते हैं।

एक वैधानिक प्रावधान अनिवार्य।

जो प्रावधान किया गया है, उसकी प्रकृति, प्रावधान करने में विधायिका का इरादा, सामान्य असुविधा या अन्याय जो व्यक्ति को किसी न किसी तरह से प्रावधान को पढ़ने से हो सकता है, उसी विषय से संबंधित अन्य प्रावधानों के साथ विशेष प्रावधान के संबंध और प्रावधान की भाषा सभी पर विचार किया जाना चाहिए। निषेध और नकारात्मक शब्द शायद ही कभी निर्देशिका हो सकते हैं। यह उचित रूप से कहा गया है कि आदेश का पालन करने का एक तरीका है और वह है पूरी तरह से बचना। निषिद्ध कार्य करने से। इसलिए, नकारात्मक, निषेधात्मक और

अनन्य शब्द विधायी इरादे का संकेत देते हैं जब

कानून अनिवार्य है। (क़ानूनों की व्याख्या पर मैक्सवेल को देखें

11 टी एड। पी। 362 सेक। ; क्रॉफर्डः वैधानिक निर्माण,

कानूनों की व्याख्या पी। 523 और सेठ बिखराज जयपुरिया बनाम।

भारत संघ [1962] 2 एस. सी. आर. 880। 18. उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 108 में निहित प्रावधान निर्देशिका हैं क्योंकि अधिनियम की धारा 108 का पालन न करना अपराध घोषित नहीं किया जाता है। इसका कारण बताया गया है

उच्च न्यायालय यह है कि जब कानून निर्धारित नहीं करता है

परिणाम या गैर-अनुपालन के लिए दंड निर्धारित नहीं करता है

अधिनियम की धारा 108 में निहित प्रावधान के साथ प्रावधान को निर्देशिका माना जाना है। उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 629 (ए) में निहित प्रावधान पर विचार करने में विफल रहा। धारा 629 (ए)

अधिनियम के उस दंड को निर्धारित करता है जहां कोई विशिष्ट दंड नहीं है।

अधिनियम में कहीं और प्रावधान किया गया है। यह प्रत्येक मामले में निर्माण का सवाल है कि क्या विधायिका का इरादा अधिनियम को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का था, या केवल उस व्यक्ति को उत्तरदायी बनाना था जिसने इसे किया था। दंड का भुगतान करने के लिए "।

87. धारा 108 धारा 286 या धारा से स्वतंत्र रूप से संचालित होती है बैठक का अमान्य होना 108 के प्रावधानों के तहत निर्भर है। कंपनी अधिनियम की धारा 108 का उल्लंघन किया गया था।

19] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एच. क्यू. आर. एल. ने बोर्ड संकल्प की तारीख 10.5.2005 पर विधिवत निष्पादित शेयर हस्तांतरण प्रपत्र के साथ शेयर प्रमाणपत्र दाखिल नहीं किया। श्री आर. पी. मित्तल की याचिका पर विश्वास नहीं किया गया है कि शेयर प्रमाण पत्र 23.6.2003 पर वापस कर दिए गए थे। उच्च न्यायालय ने इसके विपरीत हलफनामा दायर करने के लिए श्री आर. पी. मित्तल के खिलाफ धारा 340 Cr.P.C के तहत कार्यवाही का भी आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने इंडियन ओवरसीज बैंक के संबंधित अधिकारियों श्री विवेक दीक्षित और श्री दीपक सूदन के हलफनामे पर भरोसा किया है। उच्च न्यायालय ने पाया है कि शेयर प्रमाण पत्र श्री आर. पी. मित्तल को 23.6.2003 पर नहीं बल्कि 23.6.2005 पर दिए गए थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था।

88. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 397 के तहत पारित किए जाने वाले उचित आदेश के संबंध में, इस पर निर्भरता रखी गई है -

M.S.D.C. राधा रामानन बनाम. एम. एस. डी. चंद्रशेखर राजा और अन्र। (2008) 6 एस. सी. सी. 750 इस प्रकार हैः

" 23. अधिनियम की धारा 397 और 398 कंपनी को सशक्त बनाती है।

उत्पीड़न और कुप्रबंधन को दूर करने के लिए विधि बोर्ड। यदि अधिकारिता का प्रयोग करने से इनकार करने के परिणाम एक

सवाल यह है कि कंपनी की पूरी अराजकता या कुप्रबंधन, फिर भी क्या कंपनी लॉ बोर्ड उचित आदेश पारित करने में असमर्थ होगा। यदि धारा 397 या 398 के प्रावधानों की शाब्दिक व्याख्या का सहारा लिया जाता है, तो वह परिणाम हो सकता है। लेकिन कंपनी विधि बोर्ड के अधिकार क्षेत्र को व्यापक रूप से और विविध राहतों के रूप में प्रदान किया जा सकता है।

कंपनी को चालू रखने के लिए; क्या ऐसा आदेश पारित करना वांछनीय नहीं है जो सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए कंपनी और अधिकांश सदस्यों के लिए फायदेमंद हो? एक अदालत शायद ही अपने समक्ष सभी वादियों को संतुष्ट कर सकती है। हालाँकि, इसका अपने आप में यह मतलब नहीं होगा कि कंपनी लॉ बोर्ड अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर देगा, हालाँकि क़ानून ऐसा प्रदान करता है

उस पर शक्ति।

24. अब यह कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि न्यायालयों को क़ानून के ऐसे निर्माण के पक्ष में झुकना चाहिए जिसके द्वारा अधिकारिता को बनाए रखा जाता है जिससे यह राहत को ढालने में सक्षम हो जाता है, निश्चित रूप से, तथ्य की स्थिति में कानून की प्रयोज्यता के लिए

प्रत्येक मामले में।

उपरोक्त प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं हो सकता है।

राम पार्थम मित्तल और ओआरएस। वी. होटल क्वीन रोड 1035 पी. वी. टी. लिमिटेड। & ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

89. मामले के तथ्य और परिस्थितियों में, समग्र परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, आक्षेपित आदेश में कहा गया है कि हस्तक्षेप। हालांकि, मामले के तथ्यों में अपीलार्थी राम परशोतम मित्तल पर मुकदमा चलाने के निर्देश को दरकिनार कर दिया गया है।

90. अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है। पक्षकारों को अपना खर्च स्वयं वहन करना होगा। दिव्या पांडे